The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock,

The Deputy Chairman in the- Chair.

CONSTITUTION .SIXTY- SECOND AMENDMENT) WLL, 1989—contd.

' THE DEPUTY CHAIRMAN; I have .o inform the Members that the Minister of External Affairs will make a statement regarding UJS. intervention in Panama at 5.20 p.m.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: (Uttar Pradesh): Is it invasion or intervention?

THE DEPUTY CHAIRMAN; It says 'intervention'.

SHRI RAOOF VALIULLAH* (Gujarat): Will the Minister intervene or is it about intervention?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Why is he afraid of calling it 'invasion'?

THE DEPUTY CHAIRMAN; I do not know.

Yes, Mr. Hari Singh to continue.

चौधरी हरि सिंह : माननीया डिप्टी चेयरमैन साहिबा, तो मैं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा... **(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश) : महोदया, संबंधित मंत्री जी नहीं हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : हैं, हैं ।

एक माननीय सदस्य : वहां तो सारे लोग मंत्री हैं । आप फिक्र मत कीजिए ।

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): I am taking down.

चौधरी हरि सिंह : माननीय महोदया, जब सदन में चर्चा हो रही थी; तो मेन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने और उन्हें सुयोग्य बनाने के लिए; समानता के सिस्टम को लाने के लिए चर्चा चल रही थी; तो जिक्र आया था कई बार--तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में इस देश के अंदर जो गरीब लोग थे, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग थे; जिनकी समाज में कोई प्रतिष्ठा और समानता के लिए कोई अवसर नहीं था--समानता की बात तो छोड़ दीजिए; समाज में आदरपूर्वक और सम्मानपूर्वक जीने का भी जिनको हक नहीं था, तो कांग्रेस की सरकार ने उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो बहुत बुनियादी चीजें होती हैं, आर्थिक, सामाजिक और समानता के कानूनी उनके सिद्धांत अपनाये राष्ट्र की लोक सभा; राज्य सभा, विधान सभाओं, विधान परिषदों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पहुंचाने के लिए कानून बनाकर उन्हें वहां का सदस्य; मंत्री बनाया जाएं । यही नहीं, अगर आप गौर से देखें, तो उनका जीवन-स्तर ऊंचा उठाने के लिए; आर्थिक और सामाजिक कोई जीवन का क्षेत्र ऐसा नहीं बचा, जिसमें कि पिछली सरकार ने मूलभूत कार्य न किये हों जिसमें दलितों का उत्थान हो सके । और मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार की जो नीति इनको मुख्य धारा में लाने की रही, जो कार्यक्रम रहे, प्रोग्राम रहे, चाहे 20 प्वायंट प्रोग्राम था, चाहे वह विशेष अधिकारी नियुक्त करने का था, चाहे टाइम-बाउंड प्रोग्राम के अन्दर रिज़र्व सीट्स को पूरा करने का था, यह सब इस बात का द्योतक हैं, इंडीकेट करता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को, कांग्रेसजनों की दलितों के उत्थान की किस कद्र चिंता थी । पिछले दिनों में देखा कि रिजर्वेशन में जो सीट्स खाली पड़ी चली आ रही थीं सर्विसेज में उनको पूरा करने के लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम चलाया गया । मेरा यह आग्रह इस मौजूदा सरकार से भी है कि यह काम अधूरा रह गया और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी अब इस मौजूदा सरकार पर है । मुझे आशा है कि मौजूदा सरकार इस समय जो रिज़र्व सीटें हैं जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है उनको पूरा करेगी । अभी हमारे माननीय

पासवान जी ने अपनी इंट्रोडाक्टरी स्पीच में कहा कि भारत के अन्दर, देश के अन्दर, प्रदेशों के अन्दर रिजर्वेशन के खिलाफ आन्दोलन चल रहा है ये आन्दोलनकारी कन्फ्यूजन में हैं कि यह लेजिस्लेशन संसद और विधान सभाओं की सदस्यता रिजर्वेशन के लिए हैं और नौकरियों के रिजर्वेशन के लिए नहीं हैं । ये कंफ्यूजन में हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अब अगर नौकरियों में रिजर्वेशन का आंदोलन चलेगा तो क्या मंत्री जी नौकरियों के फिलाफ चलने वाले एजीटेशन को जस्टीफाई करेंगे ? क्या उसको ठीक समझेंगे कि एजीटेशन चले ? यह इस बात को इंडीकेट करता है कि जो नौकरियों में रिजर्वेशन है यह मौजूदा सरकार के मंत्री जी की इंट्रोडक्टरी स्पीच है इसमें ऐसा आभास मिलता है राष्ट्र के करोड़ों आदमी अभी जो सामाजिक जीवन के स्तर में समानता नहीं पाए हैं, जिनको नौकरियों में स्थान नहीं मिला है, जो आज दरिद्र हैं, जो गरीबी में फंसे हुए हैं जिनको कोई स्थान नहीं है, जो रिजर्वेशन के सहारे नौकरी पाते हैं और जीवन-यापन कर लेते हैं तो नौकरियों में रिजर्वेशन न मिले अगर सर्विसेज को ब्राड-बेस्ट बनाना है जिसमें सारे सैक्शन के लोग, सारे रिजन के लोग, जिसके अन्दर सारे समाज के लोग अगर हों जिससे सर्विसेज ब्राड-बेस्ट हों, स्ट्रांग हों तो भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए । मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर यह सर्विसेज में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए रिजर्वेशन के खिलाफ एजीटेशन चलेगा तो क्या मौजूदा सरकार इसको उचित ठहराएगी ? क्या उनकी नीयत साफ नहीं है ? आज बार-बार हमारे मंत्री जी ने कहा अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच में, एजीटेटर्ज को जो कंफ्यूज कर रहे हैं कि यह रिजर्वेशन असेंबलीज के लिए है सर्विसेज के लिए नहीं है, यह पार्लियामेंट में रिजर्वेशन के लिए है, यह विधान सभाओं और संसद् के लिए रिजर्वेशन है, यह सर्विसेज के लिए नही है तो मुझको आज यह आभास और शक पैदा हो गया कि मौजूदा सरकार को जो हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए रिजर्वेशन की जो बात कही जा रही है क्या उसको तो वह खत्म करने वाले नहीं हैं, क्या उसकी अनदेखी करने वाली नहीं हैं, क्योंकि बार बार इस बात को जाहिर करने से ऐसा मालूम पड़ता है और इसलिए अब आप देखते हैं कि राष्ट्रपति जी ने जो इंडीकेशन किया है कि दलितों के इन्टरेस्ट को देखा जाएगा कोई तफसील नहीं दी । यह बहुत आवश्यक मुद्दा है भारत की उन्नति के लिए उसकी तरफ कोई इशारा नहीं किया गया । मैं कहना चाहता हूं कि यह कन्फ्यूजन करके बात को जा रही है सारे राष्ट्र में इस समय जो कंफ्यूजन है, जो सरकार यह कहती है कि यह कंफ्यूजन है और सरकार की नीयत यह है कि एजीटेशन इसके खिलाफ न हो लेकिन सर्विसेज में जो रिजर्वेशन है इसमें अगर वह रिजर्वेशन के खिलाफ हैं और हो सकता है कि एजीटेशन बड़े पैमाने पर चले तो सरकार नौकरियों के रिजर्वेशन को समाप्त करने पर कुछ विचार करे ताकि उसको खत्म किया जाए। मुझे तो आज उनकी स्पीच से यह आभास मिला । तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर यह वातावरण था यह था कि हरिजनों के कान में वेद या धार्मिक शास्त्रों के श्लोक नहीं पड़ने चाहिएं ऐसे वातावरण में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने समाज में अनुसचित जाति को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज सैकड़ों की तादाद में हमारे गजेटिड अफसर हैं, डाक्टर हैं, वकील हैं । यह सब कैसे हुआ ? यह अगर मेन-स्ट्रीम में नहीं आए तो कहां गए यह राष्ट्र की मुख्य धारा में देश को मजबूत करने में रिजर्वेशन के सहारे शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने अपनी देन दी है और उसकी तारीफ किए बिना मैं नहीं रह सकता । यह यह सारे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की है ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

THE DEPUTY CHAIRMAN; Shri Atal Bihari Vajpayee.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA (Andhra Pradesh): Madam...

उपसभापति : सोरो वाजपेयी जो । उनका नाम था। यह सब उलटा-पुलटा हो गया है न, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदया, उलटा-पुलटा कुछ नहीं हुआ है, यह सब सीधा-सीधा हुआ है ।

उपसभापति : मेरे कागज पर तो सब उलटा-पुलटा ही दिख रहा है । उनको बोलने दीजिए, आप बाद में बोल लीजिए ।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : ठीक है । मुझे कोई एतराज नहीं है ।

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA; Madam I thank you, and Mr. Vajpayee also, for giving me an opportunity to speak.

Madam, whenever and wherever there is any reference t_0 reservations, we are reminded of the late Dr. B. R. Ambedkar. Dr. Ambedkar struggled a lot for improving the socio-economic, educational and political conditions of million$_s$ of downtrodden people of this country. He wanted solutions to several problems before Independence itself, but many problems wer$_e$ not solved. Som$_e$ of them, remain unsolved even today. But the political problem is solved to some extent.

Madam, there are several problems fac-ced by the Scheduled Cartes and Scheduled Tribes in this country and they are still unsolved, like entry of Scheduled Caste people into the temples, Scheduled Caste and Scheduled Tribe peopl$_e$ marrying other people, that is, inter-caste marriages. Like that, several other problems are there.

Some people may say that a law is made to eradicate untouchability, to undo casteism and all that. If ther$_e$ is any law, it is to be implemented. The very person who is know to be the head of the Hindu society, Jagadguru Shankarachara-ya, had supported the non-entry of Scheduled Caste people into the temples. But there was no action taken against the Shankaracharaya or anybody. Nobody bothered about it. There is a law eradicating untouchability, but when untouchability is publicly supported by responsible people as in the case of non-entry of Scheduled Castes into the temples, nobody is there to take any action. It means there is no solution to this problem.

Regarding the caste system, there are some inter-caste marriages taking place. But how are they taking place? Some IAS boys and girls or some well-placed boys and girls of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being married by others. But the others are not going to marry boys and girls who are living in the slums and whose socio-economic conditions are poor. It means the problem is still continuing. So, all these problems are there.

Regarding reservations, several people in this country think that reservations will 'solve all problems and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are being brought up like anything while others are losing everything. That is why there is an anti-reservation agitation in the country. They do not properly understand wha' reservation is, what for it is meant and what purpose of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is being served. Madam, as a matter of fact, there are three types of reservations. Now we are considering the Bill relating to political reservations in the Legislatures for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There is the other re-reservation, that is, in the services. Apart ■from these reservations in Legislatures and services, there is one obligatory reserva-tion which is not mentioned in the Consti-tution at all. For instance, there is no provision for reservation of sears in the Rajya Sabha to be represented here. Likewise, there is no resrvation for the appointment of Judges, there is no reservation for the appointment of Governors, there is no reservation for the appointment of Members of the Public Service Commissions and so on. But Still, there are Scheduled Castes and Scheduled Tribes in those bodies.

There was some reference to the-number pf Scheduled. Caste Members in this House. As far as my knowledge goes, there are 17 or 18 Scheduled Caste Members in this House. This is not poor representation, but inadequate. People were talking about this and that is 'why I wanted to clarify it.

With regard to time-bound reservations," I would like to put it this way. There was sufficient discussion in the Constituent As sembly regarding time-bound reservations and the basic criteria to be adopted for reservation's. There was elaborate debate and discussion regarding time-bound re servations. People have spoken iff the Constituent Assembly that a period of ten years or even one hundred years is a brief period in the history of a country. The suppression that took place for thou sands of years of these down-trodden com munities could not *he* done away with in 10 years, 20 years, 50 years or 100 years. That was the spirit of the speech given in that context in the Constituent Assembly. If you go through the speeches in the Constituent Assembly, this will come to light. People are now reopening the is sue. When Mr. Hanumanthappa talked about reservation for unspecified period, some people have reacted otherwise. But that was the spirit of the debate, in the Constituent Assembly. The spirit behind the debates in the Constituent Assembly was to continue the reservations till the Scheduled Caste people and the Scheduled Tribe people take part in the mainstream with equal Status. If we .achieve equal status for and participation of the Sche duled Castes and the Scheduled Tribes in the mainstream within 10 years, let us do away with the reservation within ten years. If we achieve it within 100 years, let us do away with it after-100 years. Whatever time it takes for the Scheduled Castes and the Schedued Tribes to take part in the mainstream of the society with equal sta tus, that should be the end of the'reserva-tion. Apart from that, no other" thing can be there. - • -\

Regarding economic basis, some people have raised an argument now-a-days that economic criteria, economic status should be taken as the criteria, and some other people are talking about reservation for one man in one family or **one** generation,: like that. Different types of a arguments are being raised. These are all played in different terms. They have discussed all these things in the Constituent Assembly itself. They have solved the problem. There is no question of revising the policy, the basis or time or anything else. It is taking its course in the right way. That is why, I do not want to talk much about all these things. Madam, actually, I think, those people who are raising some new points on this reservation issue are not able to undestand the under-current flowing under the surface of the society. If they can understand the under-current in the society, they will not raise all these points.

Madam, Mr, Hanumanthappa was talking something about sincerity. I would like to mention in this way. I do not know who is, sincere on the reservation and who is not Sincere. Some time ago, much earlier than these elections, Mr. Rajiv Gandhi, the then Prime Minister, said that the Janata Government in" **1979** did not expend the provision of reservations for the Scheduled Castes and - the Scheduled Tribes. Madam, as far as my knowledge goes, the Lok Sabha was dissolved six months earlier than the expiry of the reservations. There was' sorrle meaning in not extending the provisions in the Constitution because there was no Lok Sabha in existence. The extension was required from the 26th of January, 1980. The Lok Sabha was dissolved much earlier, six months earlier than that. But now the reservations will expire within one month. The Lok Sabha was there up to the end of November last. Even then the reservation provision was not extended till that time. Then, who is sincere and who is not sincere?

Mr. Hanumanthappa, is liberal and free enough to speak anything. Now he can speak.

SHRI K. V. **THANGKABALU** (Tam-ilnadu);. You also speak liberally.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA: Definitely. But I cannot have as much liberty as Mr. Hanumanthappa has **now.**

SHRI H. HANUMANTHAPPA; You have lost it after going to that side. That freedom has come to me.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA: Do you want me to repeat? If Madam permits me, I will repeat.

Madam, as my leader, the Leader of the House, Shri Gurupadaswamy has asked me to be brief, I want to conclude with these remarks.

Thank you.

उपसभापति: श्री अजीत जोगी आप भी जरा संक्षेप में ही बोलिएगा क्योंकि आज ही यह बिल लोकसभा में रिपोर्ट करना है। कल वहां डिस्कस होगा।

श्री अजीत जोगी: उपसभापति जी, मैं संक्षेप में ही बोलूंगा। अनुच्छेद 334 में यह जो संशोधन लाया जा रहा है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध न केवल समाज के सबसे अधिक उपेक्षित, शोषित और गरीब वर्ग से है, किन्तु इसलिए भी क्योंकि समाज के एक बहुत बड़े वर्ग से इसका संबंध है। राष्ट्र के साढ़े 15 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के हैं। लगभग 8 प्रतिशत लोग अनुसूचित जनजाति के हैं और आज की जनसंख्या के हिसाब से लगभग 25 करोड़ लोग इस वर्ग में आते हैं और इस संशोधन का संबंध इन 25 करोड़ लोगों के भविष्य से है, उनके जीवन से है। इसलिए इसका बहुत महत्व है।

वैसे तो संविधान में पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 16 में बहुत से प्रावधान हैं जो इन वर्गों के लिए किए गए हैं और ये सारे प्रावधान महात्मा गांधी ने, उनके नेतृत्व में जो आजादी की लड़ाई हुई थी, उस समय जो विचार, जो चिंतन हमारे समक्ष रखा था, उन्हीं के अनुरूप हमारे संविधान निर्माताओं ने उसमें रखे थे।

मुझे दो कारणों से इस अवसर पर विशेष प्रसन्नता हो रही है। पहला कारण तो यह है कि यह जो संशोधन लाया गया है वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा वायदा, जैसी घोषणा हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव गांधी ने कुछ ही दिन पहले इस संबंध में की थी कि इस राजनीतिक आरक्षण को हम 10 वर्ष के लिए बढ़ा देंगे और मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने, शासन ने जैसा राजीव जी ने चाहा था, वैसा ही संशोधन प्रस्तुत किया है। मुझे इसलिए भी प्रसन्नता है क्योंकि इस समय देश में विशेषकर राष्ट्र के उत्तरी भाग में एक आरक्षण विरोधी लहर चली है, आरक्षण विरोधी आन्दोलन चला है और सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है कि उस आन्दोलन को कौन लोग हवा दे रहे हैं। वह लोग हवा दे रहे हैं जिनके चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख था कि राजनीतिक आरक्षण के स्थान पर आर्थिक आरक्षण दिया जाएगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज उनकी मजबूरी है, वे इसके सिवाय और कुछ नहीं कर सकते इसलिए मजबूरन उनको वही करना पड़ रहा है जो हमने चाहा था, कांग्रेस पार्टी ने चाहा था। एक प्रश्न जो सबसे पहले उठता है बार-बार, लोग यह कह रहे हैं कि 40 वर्षों से यह सुविधा दी गई है अब इसे बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? 10 वर्ष का सोचा गया था, 20 वर्ष हुए, 30 वर्ष हुए, 40 वर्ष हो गए हैं, अब इसे बढ़ाने की क्या आवश्यकता है और विशेषकर राजनीतिक आरक्षण देने की क्या आवश्यकता है? राजनीति समाज को बदलने का सबसे सशक्त वाहन होता है

It is the strongest vehicls for changed politics.

इसलिए राजनीतिक आरक्षण अपने आपमें अहम है, महत्वपूर्ण है। इन 40 वर्षों में जो कुछ किया जाना था, वह नहीं हुआ, यह अपने आपमें बहुत स्पष्ट है, आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है उसके विषय में 1981 के यदि आंकड़े देखे जाएं तो जहां एक ओर शिक्षा का प्रतिशत भारत में 36 प्रतिशत है, सब लोगों के लिए, वहीं अनुसूचित जाति के बीच में यह लगभग 20 प्रतिशत है और अनुसूचित

Second *Amdt.)*

जनजाति, जिसका मैं सदस्य हूं, उसके बीच में यह केवल 15 प्रतिशत है। यदि अनुसूचित जाति और जनजाति को निकाल दिया जाए तो अन्य लोगों में शिक्षा का प्रतिशत 41-42 था 1981 में, जबकि आदिवासियों में यह प्रतिशत 15 है, हरिजनों में यह प्रतिशत 21 है। हम इनके एक तिहाई, इनके आधे के बराबर भी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए हैं।

मैं मध्य प्रदेश का हूं। वहां आदिवासियों की, मेरे वर्ग की बहुत बड़ी आबादी है। वहां 11 ऐसे विकास खण्ड हैं जहां शिक्षा का प्रतिशत अभी भी 5 से कम है। ...(**समय की घंटी**)... मैंने तो अभी प्रारम्भ ही किया है।

उपसभापति : जरा संक्षेप में बोलिए।

श्री अजीत जोगी : वहां ऐसे विकास खण्ड हैं जहां महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत 5 से कम है। यदि 40 वर्षों के आरक्षण के बाद हम 100 में से केवल 5 लोगों को शिक्षित कर पाए हैं, तो अगर साधारण अंक-गणित से हिसाब लगाया जाए तो उनको शत-प्रतिशत शिक्षित करने के लिए हमें 800 वर्षों की आवश्यकता है। इतना पीछे शिक्षा का प्रसार इन वर्गों में रहा है।

अस्पृश्यता के बारे में मेरे पूर्व मालवीय जी ने बहुत अच्छा उदाहरण बाबा साहेब अंबेडकर का दिया था। आज भी गांव गांव में छुआछूत है, आज भी वहां हरिजन सवर्णों के कुओं से पानी नहीं पी सकते, आज भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। हरिजनों पर आदिवासियों पर जो ऐट्रोसिटीज होती हैं, जो अत्याचार होते हैं उनका उल्लेख बड़े विस्तार से कमिशनर फार शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की जो आखिरी रिपोर्ट है 28वीं, उसमें किया गया है। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि इतने प्रयासों के बावजूद ये लगातार बढ़ रहे हैं। पृष्ठ 240 के ऐनेक्सर 3 में जो आंकड़े दिए हैं उनके अनुसार 1981 में 3432, 1982 में 4102, 1983 में 4134 और 1984 में 4290 अत्याचार हुए। इस तरह अनवरत अविराम ये बढ़ते जा रहे हैं इनमें कमी नहीं हो रही है। हमारे आदिवासियों की हालत तो विकास के नाम पर और भी खराब है। जहां भी विकास होता है वहां आदिवासियों का विनाश होता है। बड़ा बांध बनता है मैदानी इलाकों में उससे सिंचाई होती है, लेकिन जंगल और पहाड़ डूब जाते हैं। रेहन्द बांध बना था मध्य प्रदेश में तो सिंचाई मैदानों की हुई और पहाड़ डूब गए। आज भी बांध बनने के लगभग 20 वर्ष बाद बाढ़ में जो क्षेत्र फंसे हैं, जब मैं कलेक्टर होकर वहां गया था तो वहां के आदिवासी लोग जिनके गांव, जिनकी जमीन गांव में डूब गई थी वह 20 साल के बाद भी कागज का टुकड़ा लेकर घूम रहे थे जिसमें लिखा था कि आपको जमीन दी जाएगी, आपका पुनर्वास किया जाएगा। गांधी सागर बांध बना, वहां भी 15 हजार आदिवासी डूब जाएंगे, नर्मदा सागर डैम बनने जा रहा है जहां डेढ़ लाख लोग डूब जाएंगे। वहां भी हम विकास की बात करते हैं वहां आदिवासियों का विनाश होता है। आपका विकास होता जाता है और हमारा विनाश होता जाता है।

महोदया, हरिजनों के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान बनाए जाते हैं। मेरे पास समय कम है नहीं तो मैं पढ़कर इसमें से बताता कि जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का उद्देश्य है कि हरिजनों और अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है, उसके अनुरूप हमारे बजट में पैसे खर्च किए जाएं, वह उद्देश्य कदापि पूरा नहीं हो रहा है। कमिश्नर फार शेड्यूल्ड कास्ट्स की रिपोर्ट के ऐनेक्सर 2 में इसका उल्लेख है। समय कम है, इसलिए मैं पढ़कर नहीं बता रहा हूं लेकिन आप देख सकते हैं कि जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या हमारे देश में 15 प्रतिशत है; वहां उन पर होने वाला कुल खर्च 7 प्रतिशत से भी कम है। यानी आप उनकी जनसंख्या के अनुरूप उन पर खर्च नहीं कर रहे हैं और यह कहते जा रहे हैं कि वे समाज में पिछड़े हुए हैं इसलिए उन पर ज्यादा खर्चा होना चाहिए।

महोदया, जैसा मैंने पहले प्रश्न किया था, इन 40 वर्षों से इतनी सुविधा देने के बाद भी हम उनको दूसरों के समकक्ष नहीं लाए, इसलिए मैं दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिर इस परिस्थिति के लिए जवाबदेह कौन है । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा क्षमा मांगते हुए कहना चाहूंगा कि इस परिस्थिति के लिए हम सब जवाबदेह हैं । यदि इस राष्ट्र में हिन्दू संस्कृति में वर्ण व्यवस्था नहीं होती तो आज यह अवस्था नहीं होती । मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत जवाबदेह सदस्य अनुसूचित और जनजाति का होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि मैं अपने वर्गों की तरफ से यह कहने को तैयार हूं कि हमको कोई आरक्षण नहीं चाहिए, बशर्ते आप हमारी एक शर्त पूरी कर दीजिए कि आपका जो 5 हजार साल से आरक्षण चल रहा है उसको आप बंद कर दीजिए । आपका आरक्षण यह है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा । जिस दिन यह आरक्षण बंद हो जाएगा उस दिन अनुसूचित जाति के लोगों को, को किसी आरक्षण की आव-

3.00 P.M. श्यकता नहीं पड़ेगी । जब तक हमारी सामाजिक व्यवस्था में, हमारी धार्मिक व्यवस्था में यह आरक्षण है तब तक दूसरे आरक्षण की आवश्यकता बनी रहेगी । आप बार-बार कहते हैं कि लोगों को अधिक सुविधाएं देकर हमने आगे बढ़ा दिया है इसलिए अब उनको अधिक सुविधाएं देने की जरुरत नहीं है । किन्तु उस व्यवस्था को, उस संस्कृति को, उस धर्म को हम कैसे भूल जाते हैं । मनु ने जो व्यवस्था हम को दी है, यह कहा है कि यदि शूद्र के कानों में वेद का एक वाक्य भी सुना दिया तो उसके कान में सीसा डाल देना चाहिए । यदि ऐसी व्यवस्था हमने धरोहर के रूप में पायी है तो आरक्षण देकर उन लोगों को दूसरों के समकक्ष लाना बहुत जरूरी है । हमारी पार्लियामेंट के गेट पर एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है : उदार चरित्रा नामत: वसुधैव कुटुम्बकम । जो उदार चरित्र होते हैं उनकी सारी वसुधा ही कुटुम्ब है । उसके लिए सारा वसुधैव कुटुम्ब है । इस पर यदि हम चलने लगेंगे, इस पर चलना चालू कर दिया है तब आरक्षण की जरुरत नहीं होगी । मैं यह भी कहना चाहूंगा... (**समय की घंटी**)

उपसभापति : अब समय खत्म हो गया । आप बैठ जाइये ।

श्री अजीत जोगी : प्रचार अधिक होता है और सुविधा कम होती है । अभी कुछ दिन पहले यह कहा गया था कि केवल आदिवासियों और हरिजनों के लिए नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है । एक मुहिम चलाया गया था । मैंने मध्य प्रदेश के आंकड़े चैक किये हैं । मध्य प्रदेश में यह प्रचारित किया गया था इस मुहिम के अंतर्गत कि मध्य प्रदेश में 96 हजार लोगों को रोजगार सरकार में दिया जायेगा । मैंने अभी हाल ही में आंकड़े मैंने देखे थे कि जो 96 हजार लोगों को नौकरी देने का वायदा किया था उनमें से केवल 960 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है । जब ऐसा प्रचार होता है तब लोग कहते हैं कि आरक्षण अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए । मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि यह एक दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ है । एक तरफ कार्ल लुइस और बैन जानसन दौड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जिसके दो पैर कटे हुए हैं वह दौड़ रहा है । तो वह कैसे उनकी बराबरी कर पायेगा । वह तभी बराबरी कर सकता है जब 100 मीटर में से 50 या 60 मीटर आगे उसको खड़ा किया जाए । नहीं तो यह जो 5 हजार वर्षों से अवहेलना हुई है, शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है, वह कैसे दूर होगा ।

उपसभापति : अब आप समाप्त करिये ।

श्री अजीत जोगी : लास्ट ।

THE DEPUTY CHAIRMAN; No. Your time is over. Otherwise, I will have to cut the time of some speaker from, your party. You tell me which speaker's time I should give you.

किस का टाइम आप लेना चाहते हैं अपनी पार्टी में से मुझे बता दीजिए मैं उसका नाम काट दूंगी ।

SHRI AJIT P. K. JOGI: You give enoug time to others.

I am just concluding.

उपसभापति : मेरे पाकिट में से नहीं आता है । यह बिल आज ही पास करके भेजना है । यह मैं कह रही हूं ।

माननीय सदस्य : एक घंटा और बढ़ जायेगा ।

उपसभापति : आज ही रिपोर्ट होनी है ।

श्री अजीत जोगी : आपने मुझे समाप्त करने के लिए कहा है इसलिए जो बातें मेरे विचार में थी उनको न कहते हुए यही कहना चाहता हूं ।

(Interruptions) •

THE DEPUTY CHAIRMAN; . No. Don't take the job of the Chair, please. I am sorry. There are many speakers from your party.

श्री अजीत जोगी : यह कहना चाहूंगा कि इस संशोधन में केवल 10 वर्ष और बढ़ाने का प्रावधान रखा है । मैं विनम्रता पूर्वक यह कहूंगा कि इन वर्गों को कोई शौक नहीं है। यह चाहते नहीं हैं कि इनको आरक्षण मिले । यह तो उनका अधिकार है । मैं इस वर्ग का हूं । मैं आदिवासी हूं, अनुसूचित जनजाति का सदस्य हूं । क्योंकि ईश्वर की कृपा से मैं पढ़ने-लिखने में अच्छा था मैंने कभी आरक्षण का लाभ नहीं लिया । मैं ले सकता था पर मैंने कभी अपने जीवन में इसका लाभ नहीं लिया । यह इस बात का सबूत है कि इस वर्ग के लोग आरक्षण भीख के रूप में नहीं चाहते हैं, आरक्षण एक अधिकार के रूप में चाहते हैं । जो सक्षम है वह आरक्षण का लाभ नहीं लेगा । आप उनको सक्षम बना दीजिए वह आरक्षण नहीं चाहेगा । जैसा मैंने नहीं लिया मेरे समान और भी लोग हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ कभी नहीं लिया होगा । अगर आपने उनको सक्षम बना दिया तो दूसरे और लोग भी नहीं लेंगे । उपसभापति महोदया, क्योंकि आपका आदेश है इसलिए अंत में यही कहना चाहता हूं । कांस्टिट्यूएन्ट ऐसेम्बली में इस विषय पर बड़ी विशद चर्चा हुई थी । मैंने उसके कुछ अंश छांटे हैं, उनको मैं सदन के समक्ष, उपसभापति महोदया, आपके समक्ष रखना चाहूंगा । सब तो नहीं पढ़ पाऊंगा, किन्तु उसमें से कुछ अवश्य पढ़ना चाहूंगा । जब उस समय यह बात चल रही थी कि यह अवधि 10 वर्ष क्यों रखी जाये, 10 वर्ष से ज्यादा क्यों नहीं रखी जाय, तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य जो कांस्टिट्यूएन्ट ऐसेम्बली के थे श्री वी०आई० मुन्नीस्वामी पिल्लई उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया था जिसमें यह बताया था कि यह 10 वर्ष और 5 वर्ष और 15 वर्ष और 50 वर्ष की बात नहीं है । तब तक यह सुविधा देनी होगी जब तक यह लोग अन्य लोगों के समकक्ष नहीं हो जाते हैं । जब तक बेन जानसन के साथ दौड़ने वाला बेन जानसन नहीं बन जाता है, उसको प्रशिक्षण देना होगा, वैसी सुविधायें देनी होंगी । जब तक वे सुविधायें नहीं मिलती हैं तब तक यह नहीं हो सकता है । मैं उनके भाषण की एक दो लाइनें ही पढ़ना चाहूंगा वैसे उसमें बहुत कुछ पढ़ने लायक है--

"Now, I ask the honourable Members of his House[1], do they believe that in the next ten years the economic and educational conditions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are going to be improved to such an extent that there will be no necessity of these political safeguards for those communities?"

यह बहुत लम्बा है, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा । अंत में मैं महात्मा गांधी जी ने इस संबंध में जो कहा है उसका स्मरण आपको दिलाना चाहूंगा--

"This diabolical contrivance to enslave humanity did not escape the discerning eye of .Mahatmaji, and he declared to the people of India that emancipation of the country from a foreign yoke will be nothing but a mockery to the millions of down-trodden Scheduled Castes and Scheduled Tribes of this

[श्री अजीत जोगी]

land, if we fail to tear away, if we fail to break down this diabolical contrivance for enslaving humanity."

अगर मानवता को इस प्रकार से दासत्व में नहीं रखना है, दास बनाकर नहीं रखना है तो हमें इस सुविधा को उनके लिए बढ़ाना होगा । इसलिए मैं अंत करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह संशोधन तो अच्छा है, हम इसका समर्थन करते हैं, किन्तु मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए । समय सीमा न देकर मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक इस वर्ग के लोग दूसरों के समकक्ष नहीं आ जाते हैं तब तक उनको ये सुविधायें दी जाती रहनी चाहिए ।

उपसभापति : वाजपेयी जी, आप संक्षेप में बोलेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: महोदया, वैसे भी हमारी संख्या आधी रह गई है। अगर मैं उस समय की सीमा में रह गया तो विषय के साथ न्याय नहीं कर सकूंगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, इसलिए मैं सूत्र रूप में बोलूंगा, विस्तार में नहीं जाऊंगा ।

महोदया, मैं संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा संविधान हमारी नई स्मृति है । डा० अम्बेडकर हमारे नये स्मृतिकार हैं । अब जोगी जी मनुस्मृति का उल्लेख करें, इसकी आवश्यकता नहीं है । इस देश में समय समय पर स्मृतियां बदलती रही हैं, बदलते हुए काल के साथ परिवर्तित होती रही हैं और लोकतंत्री भारत ने, गणतंत्री भारत ने... (**व्यवधान**) ।

श्री अजीत जोगी : मनुस्मृति में जो कुछ लिखा है उसका हमारी सामाजिक व्यवस्था पर असर नहीं होना चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब नहीं हो रहा है । अब तो संविधान का पालन होना चाहिए । अगर नहीं हो रहा है तो हम सब दोषी हैं । लेकिन मनुस्मृति का उल्लेख न करें । वक्त बदल गया है कम तेजी से बदला है, यह शिकायत हो सकती है और यह शिकायत मुझे भी है, लेकिन हमारा संविधान हमारी नई स्मृति है ।

हमने व्यवस्था की थी कि जो पिछड़े हुए हैं, दलित हैं, शोषित हैं, हजारों सालों से जिनके साथ अन्याय हुआ है, प्रायश्चित के रूप मे, उन पर अहसान के रूप में नहीं, हम उन्हें विशेष सुविधायें देंगे । इन्हें दूसरे वर्गों के समकक्ष लाने का प्रयास करने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं । राजनैतिक संरक्षण उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । नयी सरकार यह विधयक लाई है, इससे यह गलत प्रचार समाप्त हो जाना चाहिये कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं आई तो हरिजनों के साथ, वनवासियों के साथ न्याय नहीं होगा । एतिहासिक कारणों से परिगणित जनजातियां और परिगणित जातियां एक दल विशेष का समर्थन करती थीं । अब इतिहास बदल गया है । इस चुनाव में लोगों ने अपने मत से सत्ता में परिवर्तन किया है । आवश्यकता इस बात की है कि सत्ता के परिवर्तन के बाद भी जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, परिगणित जातियों और परिगणित जनजातियों का मामला राष्ट्रीय मुद्दे के अन्तर्गत आता है, उस पर हम एक आम सहमति बनाकर चलें, इस पर हम सर्वानुमति बनाकर चलें क्योंकि प्रश्न केवल दलों का नहीं है, प्रश्न दिलों का है और ऐसा नहीं है कि दिल एक ही तरफ धड़कता है, दिल इधर भी धड़कता है । अगर राजनैतिक संरक्षण पार्टी का मुद्दा बनाया जायेगा, मुझे खुशी है कांग्रेस पार्टी ने जो रवैया अपनाया उसके लिये । मैं बधाई देना चाहता हूं । वे भी जब इस पर बिल लाये थे तो हमने उसका समर्थन किया था... (**व्यवधान**)...

जब मैं बोलूं तब कम से कम महिलाओं को नहीं बोलना चाहिये... (**व्यवधान**)

उपसभापति: यह ना लगाइये, इससे मुझे भी बोलना मुश्किल हो जायेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: महोदया, आप चेयर पर बैठी हैं और चेयर का कोई लिंग नहीं होता ।

महोदया, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस विधेयक के ऊपर सदन में जो सर्वानुमति का वातावरण है, दुर्भाग्य से सदन के बाहर, संसद के बाहर वैसा वातावरण आज नहीं है । देश के कई भागों में आरक्षण विरोधी आंदोलन हो रहा है । पहले गुजरात में हुआ, उसके बाद आंध्र में हुआ, कर्नाटक में हुआ और अब उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश इसकी चपेट में आ गये हैं । एक, यदि यह पहले ही स्पष्ट कर दिया जाता कि यह आरक्षण राजनैतिक आरक्षण है, नौकरियों की बात जब आयेगी तब नौजवानों से बात की जायेगी और उनके साथ सलाह मशविरा करके फैसला किया जायेगा अगर यह स्पष्ट किया जाता तो फिर उनके रोष का कोई आधार न रहता और शायद आंदोलन इतना उग्र रूप न पकड़ता ।

दुर्भाग्य की बात है कि आरक्षण के विरोध में एक आंदोलन चल रहा है और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि आंदोलन हिंसात्मक रूप धारण कर रहा है । मुझे याद है गुजरात के वे दिन जब वहां पर आरक्षण के खिलाफ आंदोलन चला था तो गांवों में रहने वाले हमारे हरिजन बंधुओं को बड़ी कठिनाइयों और यातनाओं का सामना करना पड़ा था । यह आंदोलन रुकना चाहिये ।

लेकिन मैं ऐसा मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह आंदोलन केवल गलतफहमी के कारण हो रहा है । नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण के आधार पर प्रमोशन, इसके कारण नौजवानों में असन्तोष है । उस असन्तोष को हमें स्वीकार करना चाहिये और उसमें से रास्ता निकालने का प्रयत्न करना चाहिये, उनके साथ संवाद की स्थिति कायम करनी चाहिये । मैं ऐसे नौजवानों को राष्ट्र विरोधी कहने के लिये तैयार नहीं हूं । पांच हजार-छ हजार सालों से जो अन्याय हो रहा है... (व्यवधान)... जोगी जी जो मैं कह रहा हूं वह सोच-समझकर कह रहा हूं । अगर आप ऐसा कहते हैं कि हवा दे रहा हूं तो मुझे किसी ने रोका नहीं है बाहर जाकर आंदोलन को भड़काने में । ...(व्यवधान)... जोगी जी आप जरा अपना चश्मा उतार दीजिये । आपने लगाया हुआ है यही गड़बड़ी है । आप बिना चश्मे के देखिये । ...(व्यवधान) मैं दूर का देखने के लिये चश्मा लगाता ही नहीं इसीलिये नीचे रख दिया है ।

महोदया, मैं यह चाहूंगा कि नौजवानों के सामने स्थिति स्पष्ट की जाये । सचमुच में आरक्षण अनन्त काल के लिए नहीं हो सकता है । अभी कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से एक संशोधन आया है मुझे इस संशोधन को सुन कर ताज्जुब हुआ । अगर 10 साल का लक्ष्य नहीं होगा तो उस सीमा रेखा के भीतर हम प्रयत्नों की पराकाष्ठा कैसे करेंगे? यह प्रोत्साहन कहां से मिलेगा ? यदि आरक्षण हमेशा बना रहना है (व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर: नहीं नहीं किसी ने यह नहीं कहा कि आरक्षण हमेशा बना रहेगा जब तक पार्लियामेंट सेटिस्फाई न हो जाए (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शिवशकर जी पार्लियामेंट का रूप जिस तरह से बदल रहा है और जितनी जल्दी बदल रहा है, मेरा निवेदन है कि अगर संविधान का संशोधन है तो दो तिहाई बहुमत की जरूरत है। आप पार्लियामेंट को सौंपना चाहते हैं सिम्पल मेजोरिटी से... (व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर: संसद पर भी विश्वास न हो तो कहां जाएं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : संसद पर पूरा विश्वास है । मगर दो तिहाई बहुमत एक ओर विचार के लिए, जल्दी निर्णय करने के लिए कठिनाई पैदा करता है और दूसरी ओर प्रयत्न के लिये सीमा तय करता है इतनी सरल बात भी आपक

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

समझ में नहीं आ रही है तो मैं बहस नहीं करूंगा । (**व्यवधान**) आखिर तो संविधान के निर्माताओं ने 10 साल की बात कही थी । उन्हें उम्मीद थी कि इसके बाद आवश्यकता नहीं पड़ेगी मगर बाद में लगा कि उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई । हमें हर 10 साल बाद बढ़ाना पड़ रहा है । आज हम इसका समर्थन करने के लिये खड़े हैं क्योंकि अगर राजनैतिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो इन वर्गों की राजनीतिक जीवन में भागीदारी नहीं होगी, प्रशासन में नहीं होगी । कुछ नौकरियों का सवाल नहीं है, कुछ सीटों का सवाल नहीं है । सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है यह वर्ग जो सदियों से उपेक्षित है, इस गणतन्त्र को चलाने की भागीदार हैं किसी की दया पर जीवित नहीं है, उच्च वर्णों की कृपा पर नहीं है । वह इस देश की सन्तान हैं, जो इस देश की मिट्टी से उत्पन्न हुए हैं । उन्हें अधिकार है शासन में भागीदार बनने का, यह भागीदारी का प्रबन्ध है । इसलिए इसका विरोध नहीं हो सकता है ।

लेकिन एक लक्ष्य रहना चाहिये अगर हम प्रयत्न न करें जैसा कई कांग्रेस के सदस्यों ने कहा है, मैं उनसे सहमत हूं, कि हमने रिजर्वेशन कर दिया और फिर भूल जाते हैं अब तो 10 साल बाद आएगा । इस रिजर्वेशन के पहले भी यह रिव्यू हो जाना चाहिये था कि जिन क्षेत्रों में हमें प्रगति करनी चाहिये थी जिन क्षेत्रों में हमें कदम बढ़ाना चाहिये था, हम क्यों नहीं बढ़ा सके हैं ।

आज भी मुझे मालूम है कि सब जगह कूओं पर हरिजन भाई पानी नहीं भर सकते । मुझे मालूम है मन्दिरों के दरवाजे बन्द हैं । मुझे मालूम है दूल्हा घोड़े पर चढ़ कर गांव में नहीं निकल सकता है ।

लेकिन हमने 1985 में प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट बनाया था । शिवशंकर जी को पता है मैंने पिछली बहस में आंकड़े उपलब्ध किये थे । उन में 85 परसेंट एक्विटल हो रहे हैं । मुकदमें चलाए नहीं जाते हैं । चलाए जाते हैं तो गवाह नहीं लाये जाते, अपराधियों को सजा नहीं मिलती है । कानून काम नहीं कर पा रहा है । राजनीतिक दल सत्ता की राजनीति में लगे हैं । उन में मेरा दल भी शामिल है, माफ करिये । अब समाज को बदलने का काम कौन करेगा ?

गांधी जी ने अपनी जान की बाजी लगा दी कि हम हरिजनों को बाकी हिन्दुओं से अलग नहीं होने देंगे । सचमुच यह एक सामाजिक करार है । मैं उन नौजवानों से कहने वाला हूं और मैं कहता रहा हूं कि आप आरक्षण समाप्त करने की बात करते हो, आप समझते नहीं कि इसके पीछे किस तरह का नेशनल कमिटमेंट है । विदेशी साम्राज्यवाद तो परिगणित जातियों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहा था । वह हमेशा के लिए इन बन्धुओं को बाकी के समाज से अलग करना चाहते थे । महात्मा गांधी ने अपनी जान की बाजी लगा दी, यह मैं नहीं होने दूंगा । तब ज्वाइंट इलेक्टोरेट हुआ । उस में से आरक्षण की सुविधा निकली । फिर देखा कि केवल राजनीतिक आरक्षण पर्याप्त नहीं है, नौकरियों में और शिक्षा संस्थाओं में भी होना चाहिये । लेकिन उसके कारण निरन्तर समस्याएं पैदा होती रहेंगी, उनका हल निकालना पड़ेगा । यह हल नहीं निकाला जा रहा है । मुझे अभी भी डर है कि कहीं ऐसा न हो कि नयी सरकार भी यह न सोचे कि आरक्षण का बिल हमने पास करा लिया अब बात खत्म हो गई । इससे काम नहीं चलेगा । कई सुझाव दिये गये हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन कई सुझाव आए हैं । जब कांग्रेस का राज था तब भी सुझाव आया करता था कि हरिजनों के लिए, वनवासियों के लिए एक पृथक मन्त्रालय बनाइये। सरकार इस पर विचार करे । इन वर्गों की जनसंख्या के हिसाब से इनके आर्थिक विकास के लिए धन रखा जाए । यह एक ठोस सुझाव है, इस पर विचार होना चाहिये । 1985 में प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट बना था, उस पर अमल नहीं हो रहा है (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : अब आपने भी चश्मा लगा लिया है

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं सही बात कहने के लिए चश्मा लगा रहा हूं ।

जोगी जी जब गलत बात कहने के लिए (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : अब तक क्या सही बात नहीं कह रहे थे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, नहीं मैं जोगी जी को कह रहा हूं । मैं पढ़ने के लिए लगा रहा हूं, और जोगी जी मुझे देखने के लिए चश्मा लगा रहे थे । इसलिए मुझे आपत्ति हुई ।

श्री रऊफ वलीउल्लाह : हमारी बात आप जब करते हैं तब चश्मा लगाते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन बना हुआ है। यह मांग है कि उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाये। हम तो चाहेंगे कि एक सिविल राइट कमीशन हो, लेकिन अलग-अलग कमीशन रहने हैं तो उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाये। 1968 में सरकार ने एक कमेटी बनायी थी जिसे शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची पर पुनर्विचार का काम सौंपा गया था। वह कमेटी काम पूरा नहीं कर सकी। जनता दल ने एक नयी कमेटी बनाई । अभी जो लिस्ट है उसके बारे में शिकायत है कि बहुत से वर्ग, बहुत सी जातियां उसमें छूट गयी हैं । मुझे तो मित्रों ने बताया है कि ऐसे लोगों की संख्या करीब एक करोड़ होगी । अब उनकी लिस्ट को रिवाइज किया जा सकता है। अगर कुछ जातियां उस समय छूट गयीं थी और जो सुविधा नहीं पा सकी हैं तो उनका समावेश होना चाहिए।

एक सुझाव इसमें और आया जिस पर मैं चाहूंगा कि माननीय सदन विचार करे। इसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। जो सीट रिजर्व हो जाती है, क्या वही सीट हमेशा रिजर्व रहे। रिजर्वेशन के लिए जितनी सीटें हैं, वह संख्या बनी जाये, मगर एक सीट लगातार रिजर्व रखी ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 2000 तक हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 2000 के बाद ? जब डीलिमिटेशन होगा .. (व्यवधान) जब डीलिमिटेशन होगा तो उसमें यह मांग भी आने वाली है कि हमने जो सीलिंग लगा दी है लोकसभा की संख्या पर, इस सीलिंग पर भी सचमुच में पुनर्विचार होना चाहिए क्योंकि देश बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है। अगर लोक सभा में एक हजार सदस्य हो जायें और देशों की पार्लियामेंट की तरह, सुप्रीम सोवियत की तरह से कोई आपत्ति की बात नहीं है। मगर एक सीट जब लगातार बरसों तक रिजर्व रहती है तो कठिनाइयां पैदा होती हैं। इस कठिनाई पर से विचार होना चाहिए ... (व्यवधान)

सवेरे हमारे विरोधी दल के नेता श्री शिव शंकर जी ने कहा था कि एंग्लो इंडियन समुदाय जो है वह पिछड़ा हुआ नहीं है ... (व्यवधान) आपने ठीक कहा...

श्री पी. शिव शंकर : हजारों सालों से पीड़ित हैं, यह जब उन्होंने बात कही तब मैंने कहा कि इसमें एंग्लो इंडियन भी भी आते हैं क्या।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। हूं। मैं तो कहने जा रहा हूं कि अब समय आ गया है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को इस आरक्षण से—और यह नामीनेशन है सचमुच में, आरक्षण तो उनका नहीं है—मुक्त कर दिया जाये। ऐतिहासिक कारण था उस समय। उस समय नामीनेशन का तरीका बनाया गया। उस समय संविधान परिषद की बहस मैंने देखी है। उस समय ये तर्क दिये गये थे कि वे आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं हैं। मगर इनकी एक विशेष स्थिति है। प्रश्न यह है कि वह विशेष

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

स्थिति कब तक रहेगी। आखिर पारसी संख्या में ज्यादा नहीं हैं। हमने पारसियों के लिए न नामीनेशन किया न आरक्षण किया है। एक पारसी भारत का प्रधान मंत्री हो गया। इस देश में सबके लिए अवसर है। लेकिन यह एंग्लो इंडियन समुदाय से बातचीत करके तय होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं जो संशोधन दे रहा हूं उसे अभी सरकार मान ले। इस दिशा में चर्चा होनी चाहिए। फिर एक कठिनाई और होती है जिसकी हम शिव शंकर जी के साथ चर्चा कर रहे थे। एक तो उनका नामीनेशन और नामीनेशन भी एक ही व्यक्ति का और एक ही व्यक्ति का बार बार नामीनेशन, बार बार नामीनेशन। यह तो ठीक नहीं है और लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। जब सरकार बदल जाती है... **(व्यवधान)** तो एक और सज्जन हैं। सज्जन तो वे नहीं हैं, वे एक महिला हैं। वे जानती हैं मेरा नामीनेशन होगा। अब वे हमारे पास आ रही हैं, वे तो गये, अब हमको ले लो।

श्री पी० शिव शंकर: प्रश्न यह है कि आपके पास ही क्यों आयेंगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: शिव शंकर जी ने कहा था कि वे मेरे पास भी आयी हैं। देखिये, आने में कोई आपत्ति नहीं है। लोकतंत्र मे कन्वेंसिंग होगी और नामीनेशन होना है। लेकिन अगर मान लीजिए नामीनेशन में कोई नहीं आ सका। राजनैतिक दल खड़ा करे। सबसे स्वस्थ व्यवस्था तो यह होगी कि राजनैतिक दल जनरल सीट पर शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स को खड़ा कर के जिता कर लायें। एक उम्मीदवार हम मध्य प्रदेश से ऐसा लाये थे।

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): मौर्य जी को भी लाये थे एक बार।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मौर्य भी कई बार लड़ कर आये थे। यह संख्या अगर बढ़ती जाए और रिजर्वेशन से जितनी संख्या उनको मिलती है, उतनी संख्या अगर बिना रिजर्वेशन के पूरी हो जाए, तब समाज बदला है, इस बात का प्रमाण मिलेगा। वह स्थिति हमें लानी है और उसके लिए मिल कर काम करना है।

क्षमा करें, चुनाव में जनता ने फैसला दे दिया है। जो विजयी हुए हैं, वह विजय का अभिमान न करें। जो विजयी नहीं हुए हैं, वह शालीनता के साथ अपनी पराजय को स्वीकार करें।

लेकिन लोकतंत्र 49 और 51 प्रतिशत का खेल नहीं है। बहुमत सरकार चला सकता है, मगर बहुमत देश नहीं चला सकता। देश को चलाने के लिए एक आम सहमति की जरूरत है। और प्रश्नों पर हम झगड़ेंगे, लेकिन जिस तरह एकता और अखंडता के सवाल पर समझौता नहीं हो सकता, उसी तरह सामाजिक एकात्मकता के सवाल पर, जो उपेक्षित है, जो दलित है, जो उत्पीड़ित है, उनके साथ न्याय करना इस पर भी समझौता नहीं हो सकता साथ ही दूसरे वर्ग के नौजवानों को तैयार करना है।

महोदया, क्षमा करें यह जो अनलिमिटेड कंज्यूमरिज्म है, जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का जो एक लोभ पैदा हो गया है, हर हृदय में करुणा नहीं है, ममता नहीं है पांच हजार साल पहले जो अन्याय हुए थे, उसकी वेदना अगर हृदय में नहीं है, तो पैदा करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा।

वह वेदना कम हो रही है एक दूसरे के प्रति एक-दूसरे की व्यथा में हिस्सेदार बनने की भावना कम हो रही है और यह राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास है। क्या राजनीति की दौड़ ऐसी अंधी हो जाएगी या जल्दी से जल्दी पैसा कमाने की दौड़ में हम इस तरह से शामिल हो जाएंगे कि जो दुखी हैं, उसके लिए करुणा नहीं होगी, बंधुता नहीं होगी?

वसुधैव कुटुम्बकम तो जोगी जो बहुत बड़ी बात है। इस भारत में अभी

हम बंधुता पैदा नहीं कर सके। गांव की स्थिति बहुत खराब है। मैं मानता हूं, लेकिन परिवर्तन हो सकता है।

एक माननीय सदस्य: इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब गुनाहगार हैं, पर कठिनाई यह है कि कभी गुनाहगार उधर रहते हैं और कभी गुनाहगार इधर होते हैं। यहां पर जो बीच में रहते हैं, वह थोड़ा सा बच जाते हैं। इसीलिए चुनाव परिणाम आने के बाद मैंने राष्ट्रीय सहमति की बात की थी।

मुझे खुशी है कि नई सरकार, उसके प्रधान मंत्री, राष्ट्रीय सहमति के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं। लोगों को बांटना सरल है, जोड़ना बहुत कठिन है और आज प्रयत्न होना चाहिए लोगों को जोड़ने का। विधेयक पास हो जाएगा, लेकिन इसके बाद सरकार को काम करना पड़ेगा। हमारे वाइस-चेयरमैन जो हुआ करते थे, वह कह रहे थे कि प्लान आफ एक्शन लाओ, प्लान आफ एक्शन लाओ। भाई, इतनी जल्दी डिलिवरी नहीं होती है।

एक माननीय सदस्य: वह तो नौ महीने में होती है। ... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: आपको कैसे मालूम है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: नयी सरकार बनी है। बहुत से प्लान तो आपके अच्छे थे, हर प्लान को बदलने की जरूरत नहीं है। गड़बड़ तो उनकी इंप्लिमेंटेशन में होती थी। तो जो आपका अच्छा प्लान है, उसको लिया जा सकता है, उस पर अच्छी तरह से अमल किया जा सकता है और आपकी सलाह से नये प्लान बनाये जा सकते हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को भी झकझोरना पड़ेगा।

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): They or we?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Both.

SHRI G. SWAMINATHAN: You are a part of Government.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: प्लान तो बन सकता है, लेकिन अगर यह समाप्ति न होती जनवरी में, तो विधेयक को लाने में इतनी जल्दी नहीं होती। चर्चा के लिए और अधिक मौका मिलता और जनता में भी जो भ्रम पैदा हो गया है, शायद उसके लिए अवसर उपलब्ध नहीं होता। लेकिन अब हम इस विधेयक को पास करें और पास करने से ऐसा न समझें कि हमारा काम खत्म हो गया। इसको पास करके हम समझें कि हमारा काम शुरू हो रहा है और दस साल में हम ऐसे आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की दिशा तय करें, परिवर्तन की गति तय करें कि सचमुच में दस साल ऐसी आवश्यकता न पड़े। आवश्यकता पड़ेगी तो जो सदन आएगा, वह उसको फिर बढ़ाने का फैसला करेगा, लेकिन एक चिड़िया की आंख की तरह से दस साल हमारे सामने रहने चाहिए और सारी शक्ति लगा कर उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयत्न होना चाहिए। बहुत, बहुत धन्यवाद।

श्री जी० स्वामी नाथन (आन्ध्र प्रदेश): उपसभापति महोदया, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे यह संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया। मैं श्री हनुमनतप्पा द्वारा जो कहा गया है उन्होंने सही कहा है कि संविधान संशोधन 334 धारा में संशोधन के लिये जो 40 साल के बजाय 50 साल करने का प्रावधान इसमें लाया गया है तो इन परिस्थितियों को देखते हुए सही कहा है कि 10 साल के बजाय इनको जब तक हरिजनों और आदिवासियों की दशा में सुधार नहीं होता उस वक्त तक यह रिजर्वेशन लागू होना चाहिये। हमारे मित्र श्री राम विलास पासवान जी जो कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में यह कहा है कि राज्य

[श्री जी० स्वामी नायक]

सभा में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के नुमाइंदे बहुत कम हैं, मैं अपनी ओर से इसमें कुछ कोरेक्शंस करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि शैड्यूल्ड कास्ट के दो ही लोग हैं और शैड्यूल्ड ट्राइब के 7 लोग हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह आंकड़ा सही नहीं है।

श्री जी० स्वामी नायक : मैं इस विषय पर कहना चाहूंगा कि मेरे अनुसार शैड्यूल्ड कास्ट के 16 मैम्बर हैं और शैड्यूल्ड ट्राइब के 12 मैम्बर हैं और हमारे तेलगू देशम के मैम्बर श्री राधा कृष्ण जी भी 16-17 ऐसा कुछ बता रहे थ, तो यह कम से कम मंत्री को आंकड़े देते समय अधिकारी लोगों को सही तौर से बताना चाहिये। महोदया, इस विषय में हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा इसके पहले हमारे दल के नेता श्री राजीव गांधी जी ने यह एलान किया था कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के लिये और दस साल के लिये हम रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और यह जनता दल की सरकार आई है, उन्होंने सिर्फ दस साल के लिये यह बिल हमारे सामने लाये हैं, लेकिन खुशी की बात है कि इसके मंत्री हमारे राम विलास पासवान जी, जो हरिजन जाति से संबंध रखते हैं, वह चाहें तो इसको जिस तरह से हमारे हनुमनतप्पा जी ने कहा था उस तरह वह अपने जवाब में इसको बढ़ाने की कृपा करें। इस पर हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा और हमारे लीडर राजीव जी द्वारा कुछ इस तरह 3-4 महीने पहले जो हरिजनों और आदिवासियों की वेकेंसीज जो नौकरियों में भर्ती करने में बैकलाग थी उसको पूरा करने के लिये स्पेशल रेक्रूटमेंट के आर्डर दिये गये और जो जान-बूझ कर डी-रिजर्वेशन किया जाता था उसको भी बैन करने का आर्डर हमारे राजीव गांधी जी की सरकार द्वारा दिया गया। मैडम, मझे बड़ा खेद हुआ कि हमारे पासवान जी द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि यह रिजर्वेशन जो है सियासी है, राजनीतिक रिजर्वेशन है और इसका नौकरियों और विद्या से कोई संबंध नहीं है। लेकिन वह हरिजन होने के नाते जनता में यह क्लैरिफिकेशन करना चाहिये कि इस विषय पर संविधान के आर्टीकल 16 (4) और आर्टीकल 335 में इसका प्रावधान अलग से किया गया है और इसको सरकार के एग्जीक्यूटिव आर्डर द्वारा इसको नौकरी प्रोमोशन वगैरह में अलग से सुविधायें देने का प्रावधान है, ताकि इसमें जनता में किसी तरह का भ्रम न हो और जो गलतफहमी है, उसको दूर किया जाये।

आखिर में, मैं एक बात और कहूंगा कि जो एण्टी रिजर्वेशन एजीटेशन चल रहा है, तो इसके पीछे किसका हाथ है? सरकार के बड़े जिम्मेदार आदमी जो जनता दल की नई सरकार बनी है इसके उप-प्रधान मंत्री श्री देवी लाल जी ने रोहतक में पब्लिक मीटिंग में कहा कि मैं जब तक सरकार में हूं या बाहर हूं, मैं इसके लिये लड़ता रहूंगा, तो इसके क्या मायने हैं? या नौकरी में हो या शिक्षा में हो आर्थिक स्थिति से जो है इसका रिजर्वेशन होना चाहिये तो यह किसने कहा है? कांग्रेस के लोगों ने कहा है या जनता दल के लोगों ने कहा है, इसको पासवान जी, समझाना चाहिए आपको जनता नें साफ तौर से दिखाना चाहिये, कि यह सब गलत बात है और जो सुविधायें संविधान में दी हुई हैं, वह बराबर चलती रहेंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस संशोधन विधेयक का अनुमोदन करते हुए अपने विचार समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI V. GOPALSAMY: Madam, Deputy Chairman, I rise to support this Bill, the Constitution (Sixty-second Amendment) Bill. When we are standing at the dusk of the Twentieth Century, we are passing this Bill. The question before us is whether at the dawn of the Twenty-first Century, a Bill would be brought forward again to give further extension.

Madam. I feel proud to support this | Bill on behalf of the D.M.K. Party Which championed the cause of the Scheduled Castes, and Scheduled Tribes and other Backward Classes since its inception. We fought against suppression and oppression in the name of castersm and in the name of religion. I feel proud because it is we who were responsible for the First Amendment to the Constitution. It was because of the agitation launched J by the Dravidian movement, the D.M.K. and the D.K., that the First Amendment to the Constitution was brought forward, namely, the addition of clause (4) to article 15 of the Constitution, *to* help the Backward Classes.

Madam, some of our friend's were feeling sad that in some of the temples, the members belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not being allowed to enter. This is a deplorable and unfortunate 'situation. But Madam, in the year 1974, when my leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi, was the Chief Minister then also, we passed a legislation that the Harijans should become Archakas in the temples. This matter was taken to the Supreme Court and it was nullified because they said that it was against the A.gamas.

Therefore, the question is, how long this facility of reservation will continue. This question was raised even during the debates in the Constituent Assembly. On the 25th August, 1949, a Member of the Constituent Assembly, Shri Chandrika "Ram, fro$_m$ Bihar, said—T quote;

"The only consideration for the mem bers of the Scheduled Castes in this House and outside is that this period of ten years is very small. This is a fact that even within this short period, the Scheduled Castes may not come to the standard of other communities. This is based upon the fact that the provin cial Government as well as the Central Government are not doing things as they should. We know from personal experience during the last twelve to fifteen years that when, for the first time, Congress Ministries, came to power, nothing practical or appre-ciable was done for the amelioration of the depressed classes which are backward economically, socially and educationally.

It is a question of faith. But the question of faith is not there. . .Therefore, this is a question of faith, a question of confidence and a question of goodwill. I know that eve$_n$ in the last 25 or 30 years, Mahatmaji and other people, who have been working for this cause in this country, could not make much progress regarding removal of Untouchability.

Therefore, this stigma is still there. What is the reason? This is because, cas-teism is the bedrock for this social injustice, for this social cancer. Therefore, unless we banish casteism, we cannot achieve the goal. The question is, how long it will continue. Will it continue eternally? It will continue till the day every person beonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is treated equally, is gi-ven equal social Status along with the members of other communities. Till that day., it will continue.

Madam, this anti-reservation agitation is spreading like bushfire in some of the States in the North. It is a danger signal. Whoever is responsible for this anti-reservation agitation, he has to be condemned forthwith. Those sections should be condemned forthwith. I make an appeal from the floor of this House to those people who may become prey to the conspirators that the reservation facility has to continue not only to give representation in the legislatures and Parliament but in respect of job opportunities also because for thousands and thousands of years they have been suppressed. Therefore, it has to continue.

Madam, as the time at my disposal is very short, I conclude with the observation that till the day social equality in real terms is given to those oppressed Sections this reservation will continue.

With these words I conclude.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): उपसभापति महोदया, जो अभी 62वां संविधान संशोधन विधेयक आया है, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सदन के सभी तबके के लोगों ने इसका पूर्ण समर्थन किया है। यह होना ही चाहिये, क्योंकि यह समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। मैं इस समस्या को इस रूप में नहीं देखता कि यह एक हरिजन समुदाय या आदिवासी समुदाय की समस्या है। यह राष्ट्रीय समस्या है। जब हमारे राष्ट्र का एक चौथाई हिस्सा इस समस्या से बुरी तरह दबा हो, तो यह हमारी राष्ट्रीय समस्या है ही और इसलिये इसका समाधान भी राष्ट्रीय होना चाहिये। अभी तक जो हम लोग कुछ कर पाये हैं, वह बहुत ही कम है और इसलिये इस आरक्षण की और भी ज्यादा जरूरत है? शहरों के सभी लोग नहीं जानते कि अभी भी हरिजन, आदिवासी किस अमानवीय स्थिति में हैं: मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे लोगों के ज्ञान में इस बात को लायें कि किस तरह की अभी भी स्थिति है। आप साक्षरता को ही लीजिये। जहां आम लोगों में 37 परसेंट साक्षरता है, वहीं हरिजनों में 21.38 परसेंट ही हुई है और आदिवासियों में तो 8 परसेंट से भी कम है। दरिद्रता की रेखा में जहां आम लोग 48 परसेंट हैं, वहीं हमारे हरिजन भाई 70 परसेंट हैं।

एक सबसे बुरी बात तो हम लोग इस देश में कर रहे हैं, वह यह है कि दक्षिण अफ्रीका से भी ज्यादा हरिजन लोगों की हत्यायें इस देश में हो रही हैं। वर्ष 1981 से 1986 तक चार सौ से पौने छः सौ तक हरिजन प्रति वर्ष इस देश में मारे गये हैं उसी तरह से आदिवासियों की 110 से लेकर 160 तक लोगों की हत्याएं 6 वर्षों में लगातार होती रही हैं। छः सौ से सात सौ, साढ़े सात सौ तक प्रतिवर्ष हरिजन महिलाओं का शील हरण होता है। उसी तरह 259 से 285 आदिवासी महिलाओं का प्रतिवर्ष शील हरण होता है। ये सारी बातें शेड्यूल्ड कास्ट्स और और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो कमिश्नर हैं, वह सरकार के ध्यान में लाते हैं। लेकिन सरकार इस पर कार्यवाही नहीं करती और जो हरिजन एट्रोसिटीज होती हैं, इसका अभी तक का रिकार्ड यह है कि कांग्रेस शासित राज्यों में यह सबसे ज्यादा हुई हैं। मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इस समस्या पर विचार करें कि उनके शासित राज्यों में ही सबसे ज्यादा हरिजनों पर अत्याचार होते हैं? वहां क्यों उचित कार्यवाही नहीं की जाती है जबकि आप यहां पर विधेयक का पूर्णतः समर्थन करते हैं। वे अभी भी समर्थन ही नहीं करते हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी सिद्धांततः हरिजनों के आरक्षण के लिए बराबरी से खड़ी है। इसलिए वे विचार करें कि उनके शासित राज्यों में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इस सवाल को हम यूनाइटेड नेशंस में ले जाएं तो आपकी क्या दुर्गति होगी इस पर आप गंभीरता से विचार करें।

जो लोग आज आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उनके ध्यान में यह बात लाएं कि हरिजनों की क्या स्थिति है? क्योंकि रेडियो, टी०वी० आदि माध्यमों के जरिए ऐसा प्रचार किया जाता है कि उनको बहुत सहूलियत मिली हुई है। जबकि वस्तु-स्थिति यह है कि अभी भी वह बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इस सवाल को सरकार का काम है कि वह सबके सामने लाये।

राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ उसमें इस बात की चर्चा नहीं आई कि शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर जो रिकमेंडेशंस करते हैं उसको भी सरकार लागू करेगी। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वह सदन को यह आश्वासन दें कि कम से कम अभी लास्ट रिपोर्ट जो आई है शैड्यूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की, उसको वे तुरंत लागू करेंगे। मैं एक-दो उदाहरण देता हूं। भूमि सुधार अविलम्ब लागू करने के अतिरिक्त उसमें लिखता है कि जो अन-आर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं,

उनमें सबसे बड़ी तादाद हरिजनों की है—उद्धरण

The Union Government should take urgent measures for improving the working conditions of labourers in the unorganised sector in which the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes predominate.

हमारा यह कहना है कि जब तक एक आर्थिक सोशियो इकानामिक ट्रासफारमेशन नहीं होगा, सिर्फ आरक्षण से समस्या का निदान होने वाला नहीं है । इसलिए सम्पूर्ण रूप में इस सवाल को हम लोगों को देखना चाहिए और इसके निदान के लिए चतुर्दिक प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर हो ।

एक और छोटी सी बात है, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाऊंगा । एक सरकारी स्कीम बनी थी कि ट्रैंड दाई जो है, जो गांवों में डिलीवरी कराती है, प्रसव कराती है, उनको प्रति डिलीवरी मात्र 3 रुपए दिए जाते हैं । शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर ने यह अनुशंसा की कि कम से कम लगभग 100 रुपया प्रति डिलीवरी उनको दिया जाए । मैंने राष्ट्रपति जी को भी लिखा, तत्कालीन मंत्रियों को भी लिखा, वर्तमान वित्त मंत्री को भी लिखा—पहले के वित्त मंत्री लोग तो कम से कम एकनॉलिजमेंट दे देते थे—वर्तमान वित्त मंत्री अभी तक शायद दूसरे कामों में व्यस्त हैं, एकनॉलिजमेंट भी नहीं आया। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय जवाब दें कि उनका यह 3 ही रुपया रहेगा या आप उनकी अनुशंसा को मानेंगे ? हम चाहेंगे कि आप गहराई से इस विषय पर विचार करें ...(**समय की घंटी**)...क्योंकि जब तक सारे देश का सोशियो इकानामिक ट्रासफारमेशन नहीं होगा, तब तक हम समझते हैं कि हरिजन आदिवासी समस्या का निदान होने वाला नहीं है । अमरीका में भी अभी तक नीग्रो समस्या का निदान नहीं हो पाया।

मैं वाजपेयी जी से कभी-कभार ही, किसी सवाल पर एक हो पाता हूं । लेकिन आज फिर ऐसा सवाल आया है । उन्होंने चर्चा की कि गांधी जी चाहिए इस देश में इस समस्या का निदान करने के लिए । मैं भी समझता हूं एक गांधी जी तो आ चुके एक और गांधी जी आना जरूरी है क्योंकि एक बात तो उन्होंने ठीक ही कही कि ज्यादातर लोग गद्दी पर आने के लिए—हम भी आप भी—इसके लिए उतावले हैं, तो फिर यह सामाजिक क्रान्ति कौन करेगा ? कौन जनचेतना बनायेंगे ? मैं वाजपेयी जी से इसलिए भी कहूंगा कि वे श्री राम के बहुत भक्त हैं और इसलिए भी उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारी रामायण में कहा गया है कि राम चन्द्र जी का जन्म हुआ था

गौ ब्राह्मण हिताय च ।

गौ और ब्राह्मण दोनों के हो फायदे के लिए । क्या अब वैसे राम चाहिए नहीं जो हरिजनों के फायदे के लिए भी राम हो ? शम्बूक की हत्या वाला राम नहीं । यह मैं पूछना चाहूंगा । तुलसीदास जी ने लिखा है

"विप्र धेनु सुर संत हित
लीन्ह मनुज अवतार"

ब्राह्मण, गाय, देवता और संतों की रक्षा के लिए ही राम चन्द्र जी ने यह मनुष्य का अवतार लिया था। अब हम चाहेंगे कि क्या ऐसे भी राम होंगे जो हरिजनों के लिए दूसरों के लिए भी जन्म लेंगे... (**व्यवधान**)...

प्रो० सौरीन्द्र भट्टाचार्य (पश्चिमी बंगाल) : यह राम की बात हाऊस में भी लाए ।

श्री चतुरानन मिश्र : राम हाऊस में नहीं हैं क्या ? आप सोच रहे हैं कि आप कानून बनाकर उनको बाहर कर दिए हैं, वे तो हर जगह हैं ।

कुछ ऐसी चीजें हैं उपसभापति महोदया, जिसपर हम यहां सहमति बना लें आरक्षण को सामाजिक सहमति बनाने की जरूरत होगी । इन धार्मिक चीजों के लिए भी आम सहमति करके हम कैसे लोगों के पास जाएंगे यह तय करना होगा ।

[श्री चतुरानन मिश्र]

रामायण में रामचन्द्र जी ने कहा है--

"ते नर प्राण समान मन जिनके द्विज पद प्रेम"

जिनका ब्राह्मणों के पद में प्रेम है, वे हमारे लिए प्राण समान हैं ।

फिर तुलसीदास जी ने कहा है--

"पूजिए विप्र शील गुण हीना
शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा"

क्या होगा इसका ? दूरदर्शन पर यह रामायण आप रोज दिखलाते हैं । हम उसके खिलाफ नहीं हैं । रामायण, महाभारत दिखलाना चाहिए, लेकिन साथ-साथ इस बात को कौन कहेगा कि विप्र की ही पूजा नहीं उनकी भी पूजा हो जो हरिजन हैं, जो आदिवासी हैं, मुसलमान हैं या मुसलमानों में भी जो दूसरी किस्म के पिछड़े हुए लोग हैं । ... **(व्यवधान)**

श्री सोहन लाल धूसिया (उत्तर प्रदेश) : प्रलय आ जाएगा उस दिन ।

चतुरानन मिश्र : मैं आ रहा हूं उसपर ।

फिर तुलसीदास जी ने कहा है--

पुण्य एक जगमह नहिं दूजा,
मन क्रम वचन विप्र पद पूजा

ब्राह्मणों की मन, कर्म, वचन से पूजा करें इन बातों की चर्चा मैं और इस समय नहीं करना चाहता हूं क्योंकि समय कम है ।

वाजपेयी जी ने कहा कि अंबेडकर साहब एक नए मनु हुए । तो एक मनु हुए थे जो ब्राह्मणों को आरक्षण देकर चले गए थे कि कोई कुसूर करो तो भी कोई उनको सजा नहीं दे सकता, उनको प्राण दंड नहीं दे सकता । अंबेडकर दूसरे थे, कम से कम इतना तो कह देते । नहीं तो सब को मिलाकर चलो, यही हिन्दुओं का तरीका है । मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर अगर सांस्कृतिक परिवर्तन या कल्चरल रेवलूशन की तरफ पूरा समाज नहीं ले जाया जाएगा तो हम लोग इन लोगों को उठाने में असफल होंगे । आप नौकरियों में कुछ पद दे दीजिए, इससे थोड़ी सी प्रगति होगी । हम इस के पक्ष में हैं, आप इसको कीजिए । मैं तो हरिजन-आदिवासी कल्याण कमेटी में भी था और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि ज्यादातर जगहों पर हरिजन कंडिडेट्स की उपेक्षा की जाती है अगरचे सरकार की नीति ऐसी नहीं है । अभी हनुमंतप्पा जी ने ठीक कहा कि हरिजनों की घोर उपेक्षा की जाती है । मैं पार्लियामेंट की हरिजन और आदिवासी वेलफेयर कमेटी में था, लेकिन हमने देखा कि उड़ीसा में जहां 23 परसेंट आदिवासियों की आबादी है वहां 2 परसेंट केन्द्रीय सरकार के बैंकों और दूसरी संस्थाओं में वे नियोजित थे, तीन परसेंट भी नहीं था । तो 40 वर्ष में आप दो या तीन परसेंट में ही पहुंचे हैं तो 23 परसेंट पहुंचने में आपको 21वीं शताब्दी पूरी लग जाएगी । यह माननीय गोपालसामी कह रहे थे, तो वह 22वीं शताब्दी में भी नहीं होगा । इसलिए मैं इसके पक्ष में हूं कि एक कार्यक्रम बनाएं जिसके आधार पर हम लोग इस राष्ट्रीय समस्या का निदान कालबद्ध रूप से कर सकें ।

महोदया, मैं एक और उदाहरण देता हूं । यह हमारे लिए और आपके लिए क्या लज्जा की बात नहीं है कि इस देश में 41 लाख ड्राई लेट्रीन्स हैं जहां पर माथे पर पाखाना ढोया जाता है । इसको क्या आप रोक नहीं सकते हैं ? मंत्री महोदय चले जा रहे हैं, इस पर जरा ध्यान दें । वे भी पाखाना जाते हों तो चले जाएं, लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि माथे पर जो पाखाना ढोते हैं, यह सरकार वायदा करे कि जब तक ये हैं उसी अवधि में इस प्रथा को खत्म करेगी । आप एक समय निर्धारित कर दीजिए । राज्य सरकारों का यह हाल है कि केन्द्र अगर पैसा देती है तो जो ऐलाटेड फंड है उसको भी वे वापस कर देते हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते । इसीलिए मैंने इसकी चर्चा की कि यह एक अत्यंत गंभीर विषय है और यह भी सही है कि शिक्षा दीक्षा हरिजनों की ठीक से नहीं होती । इसीलिए वे कैच नहीं कर पाते । मैं उदाहरण देता हूं...

उपसभापति : चतुरानन मिश्र जी आप अच्छा बोल रहे हैं, मगर समय की कमी है।

श्री चतुरानन मिश्र : आप से अच्छा नहीं बोलता, लेकिन जितना कहिए उतना ही मैं बोलूंगा। मैं सिर्फ यह कह रहा था कि ऐसी कोई पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जिससे वह मीनिमम तो कंपीट कर सकें। आपके पास इन्जीनियरिंग सेवा के लिए उचित संख्या में हरिजन आदिवासियों के कंडीडेट पिछले चार वर्षों से नहीं मिल रहे हैं, यह यू.पी.एस.सी. की रिपोर्ट है। मैं आंकड़ों में जाऊंगा तो समय नहीं होगा। लेकिन एक समस्या है जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा कि हरिजनों की जो दुर्गति है, उसके बारे में विज्ञापन करें कि वे फर्स्ट क्लास सर्विस में आधे पर भी नहीं पहुंचे हैं। बी क्लास में भी आधे पर नहीं पहुंचे हैं। फोर्थ क्लास में अवश्य पहुंचे हैं। इसकी जानकारी दीजिए कि वे बहुत पीछे हैं। जो उन पर एट्रोसिटीज होती हैं उनकी जानकारी दीजिए। अभी इलेक्शन के समय में धुआंधार प्रचार हुआ, ऐसा लगा मानो सब कुछ उनके लिए स्वर्ग हो गया है, लेकिन वास्तव में स्थिति और है। मैं आरक्षण के पूर्णतया समर्थक हूं और मैंने कहा है कि रहना भी चाहिए लेकिन हमारा अनुभव यह है कि हरिजनों के लड़के-लड़कियां आती हैं वे कहती हैं कि शिक्षा-प्रसार से अब इस आरक्षण में हमारा काम नहीं चलता। पिछड़ा वर्ग की जातियों के लोग आते हैं वे कहते हैं कि इस आरक्षण से हमारा काम नहीं चल रहा है। ऊंची जाति के लोगों ऐज्युकेशन उनसे बहुत ज्यादा है। वाकई बहुत बड़े पैमाने पर ऊंची जातियों के मेधावी छात्र-छात्राएं बेरोजगार हैं। वह लेते हैं 85 नम्बर सौ में से किन्तु उनको नौकरी नहीं मिलती और 45 प्रतिशत को मिलती है। वह कहते हैं मानो हमारे बाप-दादा ने जुल्म किया था पांच हजार साल से या 15 हजार साल से जुल्म किया है किंतु हमने आजादी के बाद जन्म लिया है। हमारा क्या कसूर है? आप हम को नौकरी देते हैं या नहीं। यह सरकार कहती है इसलिए संविधान में काम के अधिकार का संशोधन यह सरकार लाने जा रही है ताकि हम लोगों को नौकरी दें। हम कांग्रेस पार्टी से अपील करेंगे कि आप भी इसका साथ दीजिए। अगर आप इनके लिए कोई योजना नहीं बनायेंगे, आप सरकार में नहीं कही तो उनको नौकरी देंगे। कहीं तो उनको जीने का अधिकार दीजिए। वे भी तो इसी देश के लड़के-लड़कियां हैं। कहां जायेंगे वे लोग? इसलिये उनको आरक्षण विरोधी नहीं बेरोजगारी विरोधी आन्दोलन करना चाहिए। (**समय की घंटी**) मैं अब समाप्त करूंगा। मेरी निजी राय है उस कमेटी में रहने के चलते, पार्लियामेंट की उस कमेटी में रहते मेरा अनुभव रहा है कि बैंक में, सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण कर दिया जाता है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं होता यह हम को बताइये। वह क्या इस देश से बाहर है? मैं यह जानना चाहता हूं। कि वहां क्यों आरक्षण नहीं दिया जाता। अन्तिम बात कह कर समाप्त करूंगा आपको घंटी बजाने की जरूरत नहीं होगी। अगर हरिजनों और आदिवासियों का उत्थान करना है, तो यह फ्री कम्पटिशन से नहीं होगा, मार्किट इकोनोमी से नहीं होगा इसलिए इनके लिए प्लांड इकोनोमी चाहिए तभी हम इनके लिए पैसा दे सकेंगे। हम माननीय सुब्रह्मण्यम स्वामी जी से कहेंगे कि इस मामले में फ्री कम्पिटिशन मार्किट इकोनोमी नहीं चलेगी। वह सिर हिला रहे है उससे लगता है वह भी मेरी बात का समर्थन करने वाले हैं। हम यह अपील करेंगे कि इनके लिए विशेष रूप से हम लोग सोचें। इस कलंक को मिटायें, नहीं तो मैंने आपसे कहा कि दक्षिण अमेरिका में जितने काले लोगों की हत्या नहीं होती हैं गोरे लोगों से उससे कहीं ज्यादा हत्या इस गांधी जी की जन्म भूमि में हम कर रहे हैं। लम्बी-लम्बी बातें बोलते हैं डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की और पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। दूसरों के लिए बोलते हैं अपने लिए नहीं। यह डबल स्टंडर्ड की बातें बंद करें यह मैं अपील करूंगा। इसके साथ ही हम इस संविधान का फिर समर्थन करते हैं।

उपसभापति : मैं एक अनाउन्समेंट करना चाहती हूं कि वोटिंग चार बजे होने गाली थी मगर अब वोटिंग पांच बजे होगी । आज हम को यह विधेयक पास करके भेजना है । मेरे पास नाम बहुत हैं इसलिए आप संक्षेप में बोलिए । मैं समझती हूं किसी को खिलाफ बोलने को नहीं है । श्री धूसिया ।

श्री सोहन लाल धूसिया : आपने मुझे बोलने के लिए टाइम दिया इसके लिए आपका धन्यवाद । मैं समझता हूं शायद ही कोई मैम्बर ऐसा हो जो इस बिल को अपोज करे । यह बिल आया कहां से, कहां से इसकी शुरुआत हुई मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा लेकिन कुछ बातें जरूर कहूंगा । पूना पैठ से लेकर गांधी जी, राजेन्द्र बाबू, जवाहर लाल जी और अम्बेडकर यह सब इसके पीछे थे कि इसमें दस साल के लिए रिजर्वेशन किया जायेगा । 10 साल करते करते 40 साल हो गये यह फेल ही रहा । बढ़ाया लेकिन कामयाबी नहीं मिली आज तक किसी भी सज्जन ने, किसी भी लरनेड आदमी ने, किसी भी सोशल वर्कर ने, किसी भी धार्मिक आदमी ने इस पर रिसर्च नहीं की आखिर हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं । आप हमें प्रसाद दे रहे हैं ? यह जो आप हम को प्रसाद दे रहे हैं यह हम को नहीं चाहिए । अगर आप यह कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आप नेशन को मजबूत नहीं करेंगे । इतनी बड़ी पापुलेशन को छोड़ कर अगर आप चाहेंगे कि आप आगे बढ़ जायेंगे यह हो नहीं सकता । यह एक विडम्बना है । यह बड़ी रिमार्केबल चीज कह रहा हू कि जिनके लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं वह तो मेज्योरिटी में...

4.00 P.M. जो रिजर्वेशन कर रहे हैं वे माइनोरिटी में हैं । हुकूमत जो चलती है उसमें मेजोरिटी माइनोरिटी की बात आती है । हम इलिट्रेट नहीं, इलीट्रेट परसन को वोट दिया, गवर्नमेंट बन गई, लिट्रेट परसन हार गया । लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है । जो मेजोरिटी में हैं उनके लिए रिजर्वेशन हो रहा है । कौन कर रहा है, जो माइनोरिटी में हैं । बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है । बात यहां पर खत्म होती है कि दिखावे के लिए कर दिया । लेकिन अगर अकेले सेन्ट्रल गवर्नमेंट करना चाहे तो नहीं कर सकती है । इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोआपरेट नहीं करती हैं । इसका सबूत है कि जो लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हुकमरां थे, जो हिपोक्रिट हैं वे आज इस साइड को बदल कर उस साइड में चले गये हैं । अब कहते हैं कि हीरो मैं हूं । यहीं मेंटेलिटी है कि हमें इस मामले में सकसेस नहीं मिल रही है ।

मैं कुछ थोड़े में कह कर अपनी बात खत्म करूंगा । कुछ लोग यह कह रहे हैं कि यह रिजर्वेशन इकनोमिक ग्राउन्ड पर होना चाहिये । मैं उन भले आदमियों से कहूंगा कि जरा इकनामिक्स की प्रोब्लम को तो पढ़ लीजिए और देख लीजिए । फ्री गिफ्ट आफ नेचर हैं—एयर, लाइट, वाटर और लैण्ड । लेकिन ये किसके पास हैं जिससे आदमी का इकोनामिक डेवलपमेंट होता है ? ये चार चीजें ईश्वर की फ्री गिफ्ट्स हैं, किसी ने इनको पैदा नहीं किया है । इन पर चन्द लोगों की जो माइनोरिटी में हैं, उनका कब्जा है । जैसा मिश्रा जी ने कहा और बाजपेयी जी ने भी कहा कि कुछ थोड़े से लोगों की पूजा कर लो, वही लोग हैं जो हावी हो गये हैं । आज सही बात तो यह है कि गांवों में जो धनी आदमी हैं वह गरीब आदमी को साफ हवा भी नहीं लेने देता है । आप उसको कहते हैं कि आप उस पर मेहरबानी कर रहे हैं । आप मेहरबानी नहीं कर रहे हैं । मैं यह चैलेंज करता हूं कि किसी पार्टी की गवर्नमेंट हो उसमें यह हिम्मत नहीं है कि रिजर्वेशन को तोड़ दे । कोई भी गवर्नमेंट अपनी बहबूदी के लिए इसको तोड़ नहीं सकती है । जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट के पढ़े-लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाय, यह रिजर्वेशन जाएगा

नहीं। हम रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं हमको आप इतना अधिकार दे दीजिए कि एयर, लाइट, वाटर और लैण्ड पर जो बजट है उसका प्रपोरशन हमको मिल जाए। आप अपनी नौकरियों को अपने पास ही रखिए, हमको ये नहीं चाहिये। लेकिन हमको आप 10 साल दे रहे हैं 40 साल तो हो गये, रिजल्ट क्या आया है? यह बिल्कुल शारदा एक्ट की तरह से है। शारदा एक्ट लड़कों के लिए बना, यह कानून भी बन गया, लेकिन फिर भी नाबालिग लड़के और लड़कियों की शादी होती रहती है। श्री गुरुपादस्वामी जी यहां बैठे हुये हैं और हमारे हाउस के लीडर हैं, वे हमारे साथ 1950 से 1952 तक रह चुके हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि प्रो० के० टी० शाह ने, आई एम स्पीकिंग फ्रोम माई मेमरी, सबजेक्ण टू करेक्शन, उन्होंने एक बिल मूव किया था कि किसी भी आदमी को जो मैट्रिकुलेट है उसको ऐसेम्बली में जाने दें और ग्रेजुएट को पार्लियामेंट में आने दें, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। जब श्री के० टी० शाह ने यह बिल मूव किया तो मैजोरिटी उनकी तरफ हो गई। लेकिन पंडित नेहरू ने बहुत ही विनम्रता से सलाह देकर कहा कि अभी हम नए नए इंडिपेंडेंट हुये हैं, हमारी जनता अनपढ़ है, हमको इतने कैंडीडेट नहीं मिलेंगे, अभी इसको छोड दीजिए। बाद में टाइम आएगा तो कर लेंगे। लेकिन आज जो भी गवर्नमेंट आती है वह शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए जितने भी डिस्क्वलीफाइड और बदनाम किस्म के लोग हैं उन्हीं लोगों को ये लोग मिनिस्ट्री में रखते हैं। अब कसे क्या हो रहा है, यह मैं आपसे कहूंगा। हम अपनी कमजोरी बता रहे हैं। आप हमारी गलती से फायदा भी उठा सकते हैं। ऐसा करिए कि यह जो 10 साल आपने रखा है, इसको आप अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दीजिए। हम 10 साल बाद रिवाइण्ड करेंगे कि हालत अच्छी हुई या नहीं। अगर हालत अच्छी हुई तो बन्द कर देंगे। यह कांग्रेस की देन है। जो उन्होंने दिया है वह आपने किया। आपने नई चीज क्या दी है? आपने नई चीज कोई नहीं दी है। नई चीज मैं तब मानता जब आप

[उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) पीठासीन हुए]

आप कहते कि तब तक इसको रखेंगे जब तक उनकी सोशल कंडीशन अच्छी नहीं होती। हम दस साल बाद रिवाइज करते रहेंगे। यह तो आपने किया नहीं। यह गांधी जी की देन है, अम्बेडकर की देन है, पंडित नेहरू की देन है, राजीव जी को देन है। आपने क्या दिया है हमको? यह तो हमारे यहां पहले हो था। आप लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। हमसे जो गलतियां हुई हैं। उनसे आप सबक लीजिये। हम मानते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं आप शेड्यूल्ड कास्ट को भूल जाइये। आप देश को मजबूत करने की बात को कीजिए। यह देश कैसे मजबूत होगा जहां इतनी पार्टियां हैं, इतनी जातियां हैं। आप लोग इस समय हुकूमत में हैं। मैं यह चाहूंगा कि सबसे पहले आप इतना हो कर दीजिए कि जितने भी लोग नौकरी में जायंगे वे अपना सरनेम नहीं लिखेंगे। अगर सरनेम को आप काट दें तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। यह पोलिटिकल मूवमेंट है लेकिन इसको देहातों में किस तरह से विटंडाबाद करके फैलाया जा रहा है, किन ग्राउड्स पर पर इनको फैलाया जा रहा है। आप इसकी हिस्ट्री को भूलिए मत। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को भी आप देख लीजिए। कि कहां से इसकी शुरुआत हुई है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सब मालूम हो जायेगा।

इन सब चीजों के साथ आखिर में मैं आप से यही कहना चाहूंगा कि दस साल के लिए आप कर रहे हैं। हम ही नहीं, हमारी पूरी पार्टी, राजीव जी सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो इसको सपोर्ट न करे। लेकिन यह पास होने के बाद जिस तरह से शारदा ऐक्ट का हुआ, वैसा यह न होने पाये। मैं यहां पर एक मोटी सी बात कहना चाहता हूं कि 18 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट की है और 82 परसेंट दूसरों का है जब कि वे माइनोरिटी में हैं।

[श्री सोहन लाल धूसिया]

जिनको 82 परसेंट है वे माइनोरिटी में में हैं और हम मैजोरिटी में हैं। हमको केवल 18 परसेंट है लेकिन इस पर भी जो 82 परसेंट वाले हैं उनको संतोष नहीं हो रहा है और वे 18 परसेंट पर भी हमला कर रहे हैं। जो सर्विसेज की कंडीशन हैं उसमें हम नालायक हैं और हर जगह हमारे ऊपर इफ्स हैं बट्स हैं। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। इन आफिसरों को आप पकड़िये जो इसके इंचार्ज थे। चाहे इकानामिक प्वाईंट की बात हो, चाहे सर्विसेज के प्वाइंट की बात हो, उनको पकड़िए और उनके खिलाफ ऐक्शन लीजिए तभी आपका यह कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट सार्थक होगा। यह पुरानी चीज है जिसको राजीव गांधी और कांग्रेस ने आपको दिया है। मैं फिर कहूंगा कि आपको इस तरह लाना चाहिये था कि हम सबको तब तक रखेंगे जब तक उनकी सोशल कंडीशन न बदल जाय। हम हर दस साल बाद इसको देखेंगे। अगर उनकी हालत अच्छी हो जाएगी तो हम रिजर्वेशन तोड़ देंगे। हम आपका रिजर्वेशन चाहते भी नहीं है। एक दिन आएगा, देख लीजिए, जिस तरह से मद्रास में शैडयूल्ड कास्ट, बैकवर्ड और मुस्लिम एक हो गये और एक होकर राजाजी जैसे पोलिटिशियन को, कामराज जी जो कि केवल मिडिल पास थे, उनको उन्होंने भगा दिया, कभी आपकी इस तरह की पालिसी के कारण ऐसा न हो जाय कि वह हवा नार्थ इंडिया में आ जाय अगर ऐसा होगा तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो जिम्मेदार लोग हैं वे इस चीज को समझ लें। दूसरी चीज यह है कि चंगेज खां इतने मुसलमानों को नहीं लाया था और न इतने मुसलमान अरब कंट्रीज से आये हैं। डा० अम्बेडकर ने हमको सब सिखा दिया है शैड्यूल्ड कास्ट में जन्म लेना हमारी मजबूरी है लेकिन जिस दिन हम इस चीज पर उतर जायेंगे उस दिन आप नेस्त-नाबूद हो जायेंगे। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): Mr. G. Swaminathan, only five minutes. Hereafter each Member will get only five minutes.

SHRI G. SWAMINATHAN:.Mr. Vice-Chairman, Sir, I stand to support the Constitution (Sixty-second Amendment) Bill regarding the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes reservation. Many hon. Members have spoken before me on this point. The main point about this Constitution amendment is, even though many thoughts have been expressed about the reservation to Parliament and reservation to the State Assmblies, there have been Scheduled Castes and Scheduled Tribes reservations. They come to Parliament and the State Assemblies. I understand there are about 73 Members in Lok Sabha and various others in the Assemblies. This has been happening for the last forty years and we want to extend this period for another ten years and the argument is, why it should be for ten years _ why it cannot be extended indefinitely and whether it is wise to give only ten years' time and whether within ten years' time, is it possible for them to come at par with others. The other section **of** the people say that ten years' time is a very limited time and they should have brought a Bill extending it indefinitly. That is one argument which has 'been given by an hon. Member from the Congress party. Shri Vajpayeeji said that there should be a time time without which there will be n0 inclination for them to come up and the society should be responsible to see that within this time limit, this should be done. My understanding of the situation is that the reservation has not been for thirty years. As I have come to understand the reservation to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes started somewhere during the year 1937. That is what I am led to understand. From 1937 it went on op to 1947 and thereafter, *utter* the Coutrttititon came into being, it has been confituriag still fcr-titer. So searfy about 40 years has, already goes and as are suporting 'it for officers

/

ten years' time and the reservation once whe$_n$ it was started, it wa$_s$ not only for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes but for minority communities and the communities belonging to th$_e$ other religion$_s$ also. Muslim$_3$ and Christians were also give$_n$ reservation during that time. In 1937, there was reservation for the Muslims. There was also reservation for the Christian community and thereafter, only in 1947, they said, the reservation will be only for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the Anglo-Indians. Thi$_s$ is the context of the whole thing. Now the main thing t$_0$ be examined is whether the reservation, if at all to continue, has given benefit to the desired extent. It had been 'beneficial to the people concerned. The reservation i$_s$ not for a separate constituency. They are contesting from the general constituency and many of the friend$_s$ whom I have contacted and whom I have conversed with, belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes themselves say, there is a lot of in-built difficulties in these kinds of reservations. One point of in-built difficulty is even when they are supposed particular a particular community or $_a$ caste, they belong to a particular caste, they 'belong to a particular constituency which is not a Scheduled Castes constituency. That is what has been argued by them. They should represent only the Scheculed Castes people. The Scheduled Tribes should represent only the Scheduled Tribes. That was the original idea which Gandhiji said he will not allow to happen. Thereafter, the Scheduled Castes persons are now representing the general constituencies. Ultimately, what is now happening i$_s$ bcause they are representing the general constituency in $_a$ particular area, the majority of the vote's belong not to the Scheduled Castes persons They belong to the minority hi any constituency and the total number of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are taken and out of that the total constituencies are carved out in a particular assembly segment or in the total State segment and then when yon take $_a$ particular Scheduled Castts eanstrrnency from my district, ther$_e$ with be about is to per cent of the persons who will be the schositiesd Castes but the takeI THE elite? communities, nearly 70 to SO per cent of th$_s$ people belong to the higher classes, backward classes and the other communities. Ultimately, whac is happening is if he really want$_s$ to be th$_e$ representative of that particular constituency and if he wants to contest again and also wants to become a Member for the second time, he has to someho$_w$ or the other see that he reflects the opinion or the general mood of the other communities. That becomes more important than reflecting the mood of the Scheduled Castes people alone. If he voices strongly the opinion of the Scheduled Castes section of his constituer tomorrow the other people will say, he is too narrow i$_n$ his views according to them. They will not vote for him during the next election and they will not cooperate with him-coopera-tion during the particular period in which he is a Member. so$_t$ ultimately we find that this particular person, who represents the particular constituency, after some time becomes more general, more affiliated to the other communities and there is always $_a$ complaint that this man started from us and he becomes one among the other people. Thi$_s$ i$_s$ the complaint that has been given because ther$_e$ is an in-built difficulty in his constituency. Another difficulty posed by the$_m$ is eve$_n$ though they belong to and represent the Scheduled Cast, as. they have to belong to $_a$ particular poli. tical party. Without a political party, thev cannot represent these people. In a political party, they have to reflect the idea$_s$ ol the political party And when they reflect the ideologies of a political party, they may be f$_n$ favour of the Scheduled Castes, may be mildly infavour or may not be in favour of the Scheduled Castes. Even then they have to represent that political party in Parliament. Ultimately, there are a lot of difficulties coming in for these sections of the society.

I shall not take much time. I would only mention a few more points, There is another important point regarding reservation. Now many other communities apart from forward communities.. want reservations. Anti-reservation sides and violence are widely prevalent, The main problem is not about reservation in parliament and Assemlies. following reservation in parliament and Assemlies questions of

[Shri G. Swaminathan] reservations in the educational system and in employment and promotio$_n$ opportunities have come in, not only for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes but for backward communilies also. The argument is, whatever may be your education, you are not getting a job_ The other day, the son of $_a$ 'friend of mine came to me. He complained to me that when he wanted his father to advise him what post-graduate course he should pursue after his B.Sc hi$_s$ lather, without being interested in his higher education, told him that he could pursue any study as h$_e$ liked and he $_w$as least interested in that. Afterwards, I met the father and asked him why he ^{was} so uninterested i$_n$ his son's education. He told me, "I am not interested in it because whatever may be the course he pursues, tomorrow he is not going to get any employment. Why should 1 bother about his higher education then?" That kind of a situation has arisen no$_w$. It is the case not only with forward communities but also with backward communities. It is so because eve'n for backward communities, the qualifying marks for employment have gone up t$_0$ 85 to 90 per cent. In my State, eve$_n$ for Scheduled Caste communities, the qualifying marks ar$_e$ around 75 per cent. Unless one gets these marks,, one will not be able to get any employment. This is the situation today. Now backward communities are also fighting for reservations. The main fight i$_s$ not between the forward and the Scheduled communities, but between th$_e$ backward and the Scheduled communities. In Tamil Nadu, the problem areas are where the backward communities are lighting with the Scheduled Caste communities. Now tr ey. want reservation for lhe$_m$ according to the strength of their communitv. What *h* th$_e$ Vanniar agitatio$_n$ in Tamil Nadu? They want 20 per cent reservation as it has been there for the Scheduled Tribe.' and the Scheduled Tastes. Formerly, this-was talked about when . our M.G.R. was 'he Chief Minister. Now. after Kalaignar Karunanidhi became the Chief Minisier, he said. that 20 per cent reservations could ■ be given not only for Vanniar., hut for the : whole of backward communities;,: Now. vapuiars are not' interested. *(Interrup-*

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu): Not the whole of backward communities but for 104 committees only.

SHRI G. SWAMINATHAN: It will be given to sepen communities. This 20 percent will be given to all the communities. But they want 20 per cent reservation 'for their community according to their population. No$_w$, other communities like the Mukkulathor community are also asking for reservation according to their population. Reservation wa$_s$ started on caste basis. Now every caste wants reservation. Now, what is going to happen ultimately? Reservations will have to be made in respect of education, jobs, promotions, etc. for every caste. Otherwise caste fights will be going on. Now a person's destiny is decided by the caste he is born in. As an h°n. Member said, if a person is born as a Brahmin, he is supposed to become a high-caste man and is supposed to enjoy everything. If this policy is extended, what happen$_s$ ultimately? A person born i$_n$ a particular community will enjoy certain benefits which cannot be enjoyed by other community people. What happens ultimately? The job market becomes too small $_{as}$ well as the educational market. Whether you call it open market or socialist market, I do not find any difference because as the hon. Member Mr. Chaturanan Mishra was saying, we do not believe in market economy. I find that in East Germany, China and Russia, most of the people are believing in open market economy and socialist economy. But that is beside the point. However, what is the position when the economy i$_s$ not booming, when the market is becoming small, whether it is education or employment? Then ultimately what will happen is we will end up fighting. There is already a big fight with all the reservations that we ha^{ve}- However. T fully concur with the Constitution Amendment and I .wholeheartedly support it. To whatever political party we may belong, -nobody can do anything else ex-cent" support this amendment because we will be very happy i^f the backward rteo-people are completely brought into the mainstream of our national life. How-ever ultimately there should be an end to .

the reservations; otherwise, we will keep fighting endlessly, there will be endless fighting with i_n the country on caste lines.

श्री राम चन्द्र विकल : उपसभापति जी, यह संशोधन विधेयक सचमुच गंभीर भी है और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप भी है और राष्ट्रीय सवाल भी है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता । अभी सभी तरफ के सदस्यों ने इसका समर्थन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं ।

हमारे यहां कुछ परम्पराएं इस तरह की पड़ गई कि कानून का अमल समाज के स्तर पर नहीं हो पाता । उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां उसी तरह से दोषी हैं जिस तरह से सरकारें दोषी हैं । यह विधेयक सचमुच कांग्रेस की तरफ से ही लाया जा रहा था । अब आपको लाना पड़ गया तो इसमें यह समर्थन इसलिए नहीं है कि आप ही लायें, तो ही समर्थन है, क्योंकि यह प्रश्न केवल हरिजन समाज का नहीं है, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का नहीं है, यह राष्ट्रीय प्रश्न है और समाज के सब अंगों का सवाल है ।

अटल जी ने थोड़ा सा गांधी जी को याद किया था । मैं उससे पहले बता दूं कि स्वामी दयानन्द जी ने भी समाज सुधार के विषय में काम किया । तो मिश्र जी भी कह रहे थे –देखिए समाज सुधारक कहीं भी हो जाए---स्वामी दयानन्द, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से ब्राह्मण जाति में ही पैदा हुए थे । उन्होंने यह कहा था कि पढ़ने से जो न पढ़े, वही शूद्र है और वे जन्म से जाति को नहीं मानते थे, कर्म से वह जाति को मानते थे । मगर स्वामी दयानन्द को भी इन पुरानी बातों को सिखाना पड़ा, इसलिए वह समाज सुधारक हुये ।

यह बातें हमारे यहां अपर वर्ग के लोगों को पसंद नहीं आयी । स्वामी दयानन्द को भी जहर दे दिया और पंडित ने ही जहर दिया । आपको याद होगा जगन्नाथ एक पंडित ही थे ।

गांधी जी से भी पहले स्वामी दयानन्द ने इस तरह से समाज के गरीब लोगों की तरफ ध्यान दिया था, सामाजिक विषमताओं की तरफ ध्यान दिया था । हम तो अगर हरिजन भाइयों के यहां कहीं हवन करवाने चले जायें, तो हमारा ही जाति से बहिष्कार हो जाता था । यह हमने जमाना देख रखा है । मालवीय जी दो-तीन उदाहरण दे रहे थे, मैं तो हजारों उदाहरण इस तरह की विषमताओं के दे सकता हूं---शिकार और दण्डणीय व्यवस्था और लोगों को समाज से अलग करना और क्या-क्या यातनायें सही हैं । आज इतना ही कह सकते हैं---

भूल हम सबकी है, न जाने कब-
कब की है,

जिसके भयंकर परिणाम, दोषी
न कोई गैर,

यह कहा भी जाता न, सुना भी
जाता न ।

यह ऐसी दर्दनाक कहानी है । तो हम किसको दोषी कहें---यह व्याख्या का समय आज नहीं है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को दस वर्षों के लिए और नौकरियों पर मैं मंत्री जी से जरूर कहूंगा यह जो हमारे सदन की सभी दल की आवश्यकता , जरूरत भी है कि कुछ ऐसा आभास हुआ इधर की तकरीरों से कि पब्लिक को भ्रम हो गया कि कहीं यह सर्विस हित का नहीं है, केवल असेम्बलियों और पार्लियामेंट का है । वह सवाल गूंज रहा है पब्लिक में और चल रहा है । उसको आज यह स्पष्ट करें ।

दूसरे हमारे उप-प्रधान मंत्री, देवी लाल जी ने भ्रम पैदा कर दिया । वह उप-प्रधान मंत्री हैं, आपकी सरकार के अंग हैं, कोई भी आपका बयान नहीं आता उस तरफ से, न प्रधान मंत्री का आता है और न आपका आता है । उप-प्रधान मंत्री बयान दिये चले जा रहे हैं । उससे आन्दोलन और बढ़ रहा है, मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि जो आंदोलन बढ़ रहा है, वह देवी लाल जी के वक्तव्य से बढ़ रहा

[श्री राम चन्द्र विकल]

है । यह समझ लेना चाहिए आप उसका स्पष्टीकरण करें, आज देवी लालजी सही हैं या प्रधान मंत्री सही हैं या आपकी गवर्नमेंट सही है ? उस गवर्नमेंट से, जिसको चंद दिन हुए हैं और अभी से विरोधाभास हो रहा है उन समस्याओं पर जो जन समस्यायें हैं और उन समस्याओं पर, जिनके आधार पर वोट लेकर आये हैं हमको हरा करके, आपको क्लियर करना पड़ेगा इस सदन के अंदर कि आखिर देवी लाल जी सही कहते हैं या प्रधान मंत्री सही कहते हैं या आपकी नीति सही कहती है—इसको स्पष्ट करना पड़ेगा । यह जन-आन्दोलन आखिर क्यों हो रहा है, यह समझना पड़ेगा । हम तो उस जमाने के आदमी हैं—

जिनके था उत्तम खेती और मध्यम बाग,
अधम चाकरी, भीख निदान ।

चाकरी को सबसे बुरा समझा जाता था—नौकरी को । आज नौकरी सर्वोपर हो गई है क्योंकि खेती वाले को उतनी आमदनी नहीं है, पेशे वाले को उतनी आमदनी नहीं है । तो नौकरी में जाने के लिए जो होड़ बढ़ी है, वह अधम चाकरी के बजाय ऊंचा स्थान पा गये, यह सामाजिक व्यवस्था में तेजी से पविर्तन हो रहा है । इन सवालों को समझना पड़ेगा और यह सच्चाई है । समाज में सबसे ज्यादा किधर सम्मान मिलता है—सम्मान और साधन जिधर मिलेगा—यह राजनीति में लोग क्यों आ गए ज्यादातर ? सम्मान हो गया राजनीतिक लोगों का और भी श्रम और सेवा के बजाय हमारे देश में सत्ता और सम्पत्ति को सम्मान मिला है, इसलिए सम्पत्ति की होड़ में आदमी को आदमी मार कर सम्पत्ति लूट रहा है । डकैती डाल रहे हैं जायदाद के लिए झगड़े हो रहे हैं । महात्मा और उनकी सम्पत्ति के लिए मुकदमों में फिरते हैं । फिर महात्मा किस लिए हो, सम्पत्ति के लिए अदालत में फिरते हो ? तो सम्पत्ति के सम्मान और सत्ता के सम्मान ने ही विषमताओं को बहुत बड़ा बना दिया है । इन चीजों को हमें बहुत गम्भीरता से सोचना पड़ेगा और सेवा और श्रम को सम्मान देना पड़ेगा । मेहनत और श्रम को सम्मान देने से सारे देश का ट्रेंड मेहनत और श्रम की तरफ बढ़ जाएगा । वरना सत्ता और सम्पत्ति दोनों की तरफ तो, आखिर क्या हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं चुनावों में, इसी तरह से सम्पत्ति के लिए झगड़ों में आदमी मर रहे हैं । तो इन सारी विचार-धाराओं को सोच करके हमें आरक्षण की नीति बनानी चाहिए । हमारे हरिजन भाई अभी तो उस लेवल पर नहीं आये आप जानते हो । मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि उनको जनरल सीटों से मुकाबला करायें आप लोग और हर राजनीतिक पार्टी अपनी-अपनी तरफ से एक नहीं दस-बीस जनरल सीटों पर लड़ा कर उनको ट्रेनिंग दें ताकि वहां पब्लिक को भी यह महसूस हो और कैंडीडेट को भी यह महसूस हो कि हम जनरल सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं । आखिर 40 वर्ष के बाद भी रिजर्वेशन की जरूरत है तो केवल इसलिए है कि आत्म विश्वास न कैंडीडेट का बढ़ा है और न जनता की उसके प्रति आस्था हुई है और न पार्टियों ने ही इस चीज को किया । मौर्य जी हमेशा जनरल सीट से लड़ते थे , शैड्यूल्ड कास्ट के हो करके कभी नहीं लड़े । तो इन चीजों को धीरे-धीरे हम कानून के सहारे ज्यादा देर नहीं रख सकते । उसके अमल पर भी हमको ध्यान देना चाहिये और इसी तरह सर्विसेज के मामले में भी हमको सोचना चाहिये । जो जन-आंदोलन हो रहा है यह एक दुर्भाग्य का विषय है, वह इस देश में नहीं होना चाहिए । आन्दोलन के नाम से हिंसा तो होना तो और भी दुर्भाग्य का विषय है । सारा सदन, मैं कहना चाहता हूं कि कृपाल होना चाहिये कि इस तरह की हिंसा या घटना देश के किसी भी कोने में नहीं होनी चाहिये और जन-आन्दोलन की हिंसा की वजह से आज हमारी मिलिट्री को वहां जाना पड़ता है । उधर पाकिस्तान सीमाओं पर ट्रेनिंग दे रहा है और हम अपनी फोज को वहां ला एण्ड आर्डर पर लगायेंगे । तब यह देश के लिए बदकिस्मती हो रही है । मैं सदेन स साफ कहना नहीं भूले जा सकता हूं कि इसमें कानूनी कार्यवाही की बात की ही दरकार है कि हमारी

फौजें यहां ला एण्ड आर्डर पर लग जायें और सीमाओं पर हमारे पाकिस्तान लोगों को ट्रेंड कर रहा है । तो यह देश के लिए गंभीर सवाल है । यह केवल हरिजन समाज का ही सवाल नहीं, यह राष्ट्रीय प्रश्न है । यह राष्ट्रीय सवाल सबके सोचने का सवाल है । चाहे इधर के भाई हों चाहे उधर के भाई हों । मुझे लगता है थोड़ी देर तक अभी जब वातावरण मैंने देखा हमको तो अभी बैठने की ट्रेनिंग धीरे-धीरे आएगी और उधर आपोजीशन के लोग जो सत्ता में आ गए हैं उनके भी मैंने कई गरम भाषण सुने, इसलिए इनको भी वहां की ट्रेनिंग कुछ देर में मिलेगी क्योंकि अभी तक वह अपने को अपोजीशन में ही समझ रहे हैं । जब यह बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था, मैं कभी किसी को गुस्सा नहीं दिलाता था, और हमें तो अभी सरकार का आभास ही नहीं हुआ दो दिन में वह हमसे भी ज्यादा गरम हो रहे थे। यह राष्ट्र के सामने एक गंभीर विषय है । यह पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है । हमारी सारी पार्टी इसका हृदय से समर्थन कर रही है, बल्कि हमारा तो यहां तक सुझाव है कि इसे दस साल से और आगे बढ़ा दो । इसमें कोई हर्ज नहीं है । कोई दस साल की सीमा नहीं हो बल्कि जब तक उनका यह मामला हल न हो तब तक दस साल की बजाय 11, 12, 15 साल तक बढ़ाओ । दस साल ही खाली जरूरत नहीं है जब तक वह समान स्तर पर न आ जायें तब तक इसे बढ़ाइये ।

हम सबकी तरफ से इस विधेयक के साथ है और मैं हृदय से इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAN REDDY); Now, Mr. Subramanian Swamy. You have got only five minutes.

SHRl SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I will take only three minutes and I won't repeat what all others have said.

Mr. Vice-Chairman, Sir, this Bill, of course, is limited. But the House has discussed and is discussing a much wider question.

The sanctity or the moral sanction for the reservation really comes out of the 1932 Poona Pact between Mahatma Gandhi and will remember, the Scheduled Caste community made big sacrifice in rejecting the British offer of a separate electorate and you can imagine if it had been accepted by the Scheduled Community, what a mess our country would have been in. From the fact that the Muslim community, headed by Mohammad Ali Jinnah, had accepted that and, in fact, the earlier leaders also had accepted that, you see what it ultimately led to. So, we should not forget one thing. This is not a gift that we have given to the Scheduled Caste community but this is something that they have earned by making a sacrifice at a very crucial time.

Sir, I have only two points to make. I agree with most of the sentiments expressed here and, of course, I support the Bill. First of all, it is very urgent for this Government to clarify its policy on this question of reservations. The statement of the Deputy Prime Minister, Mr. Devi Lai, has not been contradicted at all. Let me just read out how far he went, I quote from the Times of India of 18th December in which it is said;

> "The Deputy Prime Minister, Mr. Devi Lai, said that he would agitate for the adoption of economic basis as a criterion for reservation both inside the Cabinet and outside."

The Deputy Prime Minister has also threatened to launch an agitation outside the Cabinet. So, I would like to know from the Government as to what the reality is, what their policy on this question is and whether the Cabinet has at all met and discussed and adopted a resolution on this subject or not. This needs to be stated very clearly. Mr. Devi Lai went on to say that he will also see that in a Scheduled Castes family not more than one person will be able to get reservation. The other members of the family will not be able to get the reservation. Only one person in a family of the Scheduled Castes can get the reservation. That is what he said. When the statement came out» a friend of mine who is also a member of

[Shri Subramanian Swamy] the Scheduled Caste community said that Mr. Devi Lal would have had some moral sanction if he could give a commitment simultaneously that no political family will have more than one M.P. or one M.L.A. or one Minister and Mr. Devi Lai could begin by setting an example on this subject. Mr. Devi Lai could begin by setting an example. I believe that 125 relatives of his have got some Government job or the other at various levels. I think it is the duty of the Government to take this opportunity to categorically state that the reservation is not a gift to the Scheduled Castes but it arises out of this historical background.

Finally, I think it is very important for this Goveirnment in particular to bend backwards to make its policy statements clear. It is quite clear and it is known that the atrocities against the Scheduled Castes are generally committed by the feudal elements, particularly in the Norther$_n$ States. I regret to say and I have learnt it from many of my colleagues and political friends in various States that the feudal elements in North India today feel that their Government has come into power. Consequently, even if it is not their Government, the feeling and the feeling translated at the Police Station level and at the village level would have very adverse effects. Therefore, this Government ha$_s$ to bend backward to say that it is not a Government of the feudal elements. Of course, it has feudal elements in it. The Government has to demonstrate it over and over again that it is not a Government of the feudal elements. I regret to say that this Government has not done it and the anti-reservation stir appears to have the support of the feudal elements and the Governments in these States have not taken sufficient action to curb it. This is what I want to say. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : श्री असद मदनी। आपके पांच मिनिट हैं। आप पांच मिनिट में कृपया खत्म कर दें।

श्री (मौलाना) असद मदनी (उत्तर प्रदेश) : लाइव सदर साहब, इस दस्तूर को तरमीम की पार्टी की तरफ से ताईद हो चुकी है, मैं भी इसकी ताईद करने खड़ा हुआ हूं। मुनासिब और जरूरी है, लेकिन यह बात अजीब है कि वही शख्स अगर मजहब के मामले में तब्दील कर ले, बुद्धिस्ट हो जाय, ईसाई हो जाय या कोई और हो जाय तो फिर उस शख्स को उसी हालत में महरूम कर दिया जाता है। यह बात मुनासिब नही है। अगर उसको जो भी इसके मुस्तहिक हैं, वह मजहब की बिना पर उनके साथ फर्क नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो लोग बहुत गरीब हैं, जो बहुत जाहिल हैं, वे लोग भी इसके मुस्तहिक हैं। अगर वे हरिजन या आदिवासी न हों, लेकिन वे उससे भी गई गुजरी हालत में हों तो उनके लिए भी मुराआत होना चाहिए, उनको तहफ्फुज मिलना चाहिए, गोया उनको इस किस्म की मुराआत मिलनी चाहिए। और मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि हम मुसलमानो के साथ तो ऐसी साजिश हो रही है कि उनको शूद्र से भी कमतर बना दिया जाए– तालीम में, तजुर्बा में, मुलाजमत में हर किस्म का इमतियाज बरता जा रहा है। यहां तक कि जान-माल, इज्जत-आबरू, दीन-इन चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी जो स्टेट और हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वह शहरियों के इन हुकूक की हिफाजत करे, उसमें भी वह महरूम है और उससे फायदा हासिल नहीं होता है। खुले बंदे दिन की रोशनी में कत्ल कर दिए जाते हैं, लूट लिए जाते हैं सैकड़ों-हजारों की भीड़ में और न पुलिस उसमें कोई फर्ज अदा करती है, न सी०आई०डी० और न मुजरिमों को पकड़ा जाता है गोया कि उनका कत्ल जुर्म नहीं। लूटना-मारना, यह एकाध वाकया नहीं होता, सैकड़ों-हजारों वाकयात बराबर हो रहे हैं। लोग वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश कर रहे हैं, तरह-तरह की चीजें हो रही हैं। इन चीजों में स्टेट को, गवर्नमेंट को बुनियादी फराइज की अदा करने के लिए सोचना चाहिए। जो लोग हिफाजती फोर्सेस में बहुत मुश्किलों से एहलियत के बावजूद दरखास्त देते हैं, उन्हें इंटरव्यू लेने वाले कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं लेकिन आप मुसलमान हैं इसलिए आपको भर्ती नहीं कर सकते।

इसी तरह से और मुलाज्मतों में बड़े-बड़े अफसरान प्राइवेट तौर पर साफ कहते हैं कि आप मुसलमान हैं इसलिए आपको नहीं ले सकते। इन चीजों की तरफ स्टेट को, पार्लियामेंट को सब को तवज्जो करनी चाहिए और जहां इन गरीबों का बुरी तरह इस्तेहसाल हुआ है, इस तरह के तहफुजात देने चाहिए, वहां करोड़ों ऐसे लोग जो अकलियत में हैं और इस तरह के खतरात से दो-चार है, चालीस वर्ष से उनके साथ यह सब हो रहा है— उनकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इन इदारों की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को दूर किया जाए और पुरअमन इंसाफ का माहौल पैदा किया जाए। जो हुकूमत इस जिम्मेदारी को अदा नहीं कर सकती तो वह यकीनन इस काबिल नहीं है कि वह मुहज्जब मुल्क की हुकूमत कहलाए।

इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इस दस्तूरे तरमीम की पुरजोर ताईद करता हूं।

†[شری (مولانا) اسعد مدنی (اترپردیش) : جناب نائب صدر صاحب - اس دستوری ترمیم کی پارٹی کی طرف سے تائید ہو چکی ہے — میں بھی اسکی تائید کرنے کھڑا ہوا ہوں - مناسب اور ضروری ہے - لیکن یہ بات عجیب ہے کہ وہی شخص اگر مذہب کے معاملے میں تبدیلی کرے- بدھشٹ ہوجائے - یا کوئی اور ہوجائے تو پھر اس شخص کو اس حالت میں محروم کر دیا جاتا ہے - یہ بات مناسب نہیں ہے - اگر اسکو جو بھی اسکے مستحق ہیں - مذہب کی بنا پر انکے ساتھ فرق نہیں ہونا چاہئے - اسی طرح جو لوگ بہت غریب ہیں - بہت جاہل ہیں - وہ لوگ بھی اسکے مستحق ہیں - اگر وہ ہریجن یا آدی واسی نہ ہوں لیکن وہ اس سے بھی گئی گزری حالت میں ہوں - تو انکے لئے بھی مراعات ہونا چاہئے - انکو تحفظ ملنا چاہئے - گویا انکو اس قسم کی مراعات ملنی چاہئے - اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ تو ایسی سازش ہورہی ہے - کہ انکو شودر سے بھی کم تر بنا دیا جائے - تعلیم میں تجارت ملازمت میں ہر قسم کا امتیاز برتا جا رہا ہے - یہاں تک کہ جان مال - عزت آبرو دین - ان چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری جو اسٹیٹ اور حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے ان حقوق کی حفاظت کرے - اسمیں بھی وہ محروم ہیں اور اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے — کھلے بند دن دن کی روشنی میں قتل کردیئے جاتے ہیں - لوٹ لئے جاتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی بھیڑ اور نہ پولیس اسمیں کوئی فرض ادا کرتی ہے - نہ سی-آئی-ڈی اور نہ مجرموں کو پکڑا جاتا ہے گویا انکا قتل کوئی جرم نہیں - لوٹنا مارنا - یہ ایک ادھ واقعہ نہیں ہے سینکڑوں ہزاروں واقعات برابر ہورہے ہیں - لوگ ووٹر لسٹ سے نام کاٹنے کی سازش کر رہے ہیں - طرح طرح کی چیزیں ہورہی ہیں - ان چیزوں میں اسٹیٹ کو -

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

[شری (مولانا) اسعد مدنی]

گورنمنٹ کو بنیادی فرائض کو ادا کرنے کے لئے سوچنا چاہئے - جو لوگ حفاظتی فورسیز میں بہت مشکلوں سے اہلیت کے باوجود درخواست دیتے ہیں - انہیں انٹرویو لینے والے کہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں لیکن آپ مسلمان ہیں اسلئے آپکو بھرتی نہیں کرسکتے - اس طرح سے اور ملازمتوں میں بڑے بڑے افسران پرائیویٹ طور پر صاف کہدیتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اسلئے آپ کو نہیں لے سکتے - ان چیزوں کی طرف اسٹیٹ کو - پارلیمنٹ کو سب کو توجہ کرنی چاہئے - اور جہاں تک ان غریبوں کا بری طرح سے استحصال ہوا ہے - اس طرح کے خطرات دیکھنے چاہئے وہاں کروڑوں ایسے لوگ جو اقلیت میں ہیں - اور اس طرح کے خطرات سے دوچار ہیں - چالیس سال سے انکے ساتھ یہ سب ہورہا ہے انکی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے - یہ گورمنٹ کی ذمہداری ہے - ان اداروں کی ذمہداری ہے - کہ ایسی چیزوں کو دور کیا جائے - اور پر امن اور انصاف کا ماحول پیدا کیا جائے - جو حکومت اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتی تو وہ یقیناً اس قابل نہیں ہے کہ وہ مہذب ملک کی حکومت کہلائے

انہی الفاظ کے ساتھ میں اس دستوری ترمیم کی پرزور تائید کرتا ہوں]

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : श्री ईशदत्त यादव। आपके 5 मिनिट हैं। पांच मिनिट के अंदर समाप्त करें।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन के लिए जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं।

मैं समझता हूं कि पूरा सदन इस राय का है कि यह संशोधन कर दिया जाए, इसलिए मैं इस पर कोई लंबा समय नहीं लेना चाहता। मान्यवर, यह 10 वर्ष का समय बढ़ाने का जो प्रस्ताव किया गया है, वह बहुत आवश्यक है क्योंकि आज भी समाज में जो हरिजन जाति है, जो जनजाति है, वह उपेक्षित है। इनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, इनकी सामाजिक स्थिति में कोई सुधार नही हुआ है। इसलिए 10 वर्षों तक इन वर्गों के लोग जन-प्रतिनिधि के रूप में संसद् और विधान सभाओं में आते रहें इसलिए यह प्रावधान किया जा रहा है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, इस सम्बंध में केवल मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ समय से एक भ्रम फैला दिया गया है समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों में कि इस आरक्षण से बहुत हानि होने वाली है। इसका नौकरियों पर प्रभाव पड़ने वाला है, इसका आपकी प्रगति पर प्रभाव पड़ने वाला है जिससे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और देश के दूसरे अन्य भागों में एक आंदोलन खड़ा हो गया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में तो इसका रूप हिंसात्मक हो गया है। जगह-जगह पर हिंसा हुई है, बसेज जलायी गयी हैं . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : आप सुझाव दीजिए।

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर, मैं सुझाव ही दे रहा हूं। मैं बधाई देना

चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जो कि इस समस्या से बड़ी निर्भीकता, बहुत संजीदगी और बड़ी ईमानदारी से निपट रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे ताकि जो देश के आरक्षण का प्रश्न लेकर के जगह-जगह पर आंदोलन खड़े हो गए हैं, भ्रम पैदा हो गया है, इस भ्रम का निवारण हो क्योंकि इस संशोधन से तो किसी की नौकरी के ऊपर, किसी की प्रगति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह जो आन्दोलन आज उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अन्य भागों में पैदा हुए हैं, उत्पन्न हो गए हैं उसके पीछे मान्यवर बहुत बड़ी साजिश है और मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि देश के चन्द पूंजीपति और उधर बैठे हुए लोगों में से, सब नहीं, कुछ लोग चाहते हैं कि यह सरकार देशहित में, समाजहित में काम न कर सके, सरकार प्रगति न कर सके, देश का कल्याण न कर सके। इसलिए इस आन्दोलन के पीछे देश के चन्द पूंजीपतियों का और कुछ ऐसे लोगों का हाथ है। मान्यवर, सरकार को चाहिए कि इस संबंध में गंभीरता से विचार करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन से अपनी सहमति प्रकट कर रहा हूं और इसका समर्थन कर रहा हूं।

SHRIMATI OMEM MOYONG DEORI (Arunachal Pradesh): Mr- Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill. Sir, I rise to support the Sixty second Amendment relating to the extension of reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Sir, I congratulate our Minister for Welfare and our hon. Home Minister for debating this Bill today. Of course, this Bill has already been initiated by our Congress Party. Anyway you have debated this Bill today and we are supporting ■ it wholeheartedly because it is for a good purpose,. namely for the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes off this country are very backward and very much neglected. I come from a tribal area myself and that is a very backward area in Arunachal Pradesh. I myself know the problems of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I am grateful to the ruling party that they have made a tribal in charge of the Welfare Ministry. I hope and I have confidence that he will look after the welfare of his brethren. Of course, Sir, the Government have passed many rules and many Bills 'for the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, but even after *40* years of our Independence, our people have not improved, especially in the' northeastern region. It is only in the course of the last six or seven years that people have come to know that there are States like Arunachal, Nagaland, Manipur, Tripura in the North-Eastern region. We are still very backward and we cannot compete with the other great people of our • country. Therefore, this reservation is most welcome. If this reservation is to have a meaningful effect, it should reach the real Scheduled Castes and Scheduled Tribes "people, who are actually the needy people. I am not happy that this reservation has been extended only for another 10 years, why could it not be extended for another 50 years? If it had been extended for another fifty years, by that time our young generation would have been able to improve their lot educationally, economically and in other spheres too. *(Time bell rings)* Sir, these are very important points. Please give me one more minute.

Now, take the case of Kerala tribals settled in Madras, or Kerala Scheduled Castes people settled in Madras, who have been settled there for generations together. I suggest that they should also be given the status of Scheduled Tribe or Scheduled Caste status in Madras and given all the facilities. I request the hon. Minister that a Bill- to this effect should be introduced soon so that the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people where-ever they are settled, they should he given equal facilities. *(Time bell rings).*

Then, Sir, I earnestly request the Government that reservation should not only be for economic or political ' grounds. There should also be reservation for all-

|Shrimati Omem Moyong Dtorij

India jobs, like, AIS, IPS and similar other services. Of course, we are having reservation, but there should be more re-servation for IAS and other all-India services because our people, the Tribals, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, are really backward. We are good citizens and! we are equity loyal to the country as anybody else. With these words, I support the Bill. Thank you. >

उपसभाध्यक्ष (श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी): श्री गौतम आप दो मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए। अभी चार पांच लोग बोलने वाले हैं। मेहरबानी करके आप दो मिनट में अपने सुझाव दीजिए।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम (उत्तर प्रदेश): मानवीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इसके लिए में कुछ अपने विचार इस सबंध में रखना चाहता हूं।

मान्यवर, जब संविधान में हम किसी संशोधन की बात करते हैं तो संविधान के निर्माता डा० अंबेडकर के विचारों को जरूर सामने रखना होगा। उन्होंने कहा था कि राजनीति और सत्ता वह कुंजी है जिससे विकास के सारे रास्ते खुल सकते हैं। शायद इसी विचारधारा के कारण बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में इस व्यवस्था को शुरू से रखा था कि देश की 25 प्रतिशत आबादी में रहने वाले शोषित और पीड़ित व्यक्ति जिनकी संख्या देश में 25 प्रतिशत है, उनके लिए संविधान में, देश की सत्ता में और राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित किए बिना उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला नहीं है और न ही वे समाज की मुख्य धारा को पा सकते हैं।

मान्यवर, जहां पर यह व्यवस्था देश की जनसंख्या को आधार पर 25 प्रतिशत दी गई, आज तमाम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि जातीए आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति और सत्ता में भागीदारी और हिस्सा देना है तो वहां केवल 25 प्रतिशत ही भागीदारी सुनिश्चित करने का आरक्षण है। इससे अधिक न्यायिक और उचित और कोई आधार नहीं हो सकता।

दूसरी बात यह है कि हमारे जो लोग आज विपक्ष मे बैठे हुए हैं, तीन महीने पहले वे सत्ता में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमने पुरानी बात दोहराई है, इस सरकार ने पुरानी बात दोहराई है और 10 वर्ष का ही आरक्षण क्यों किया, आगे क्यों नहीं किया। हमारी अनुसूचित जाति के बारे में चिन्तन करने वाले हमारे भाई हनुमंतप्पा साहब हमेशा से जो इस जाति के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में लड़ते रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी तकलीफ हुई इस बात से कि 10 वर्ष ही आरक्षण रखा है। मैं जहां तक समझा हूं हमारी प्रतिबद्धता या सरकार की प्रतिबद्धता होती है, सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि अभी आरक्षण के बाद 10 वर्ष में इस समाज के कमजोर वर्ग को आरक्षण देकर समाज के बराबर, मुख्य धारा में नहीं ला सकती तो वह सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेगी। तभी इस देश की जनता उसको ठकरा देगी। इस भय के लिए समय को बांधना उचित है और यही उसकी प्रतिबद्धता है कि 10 वर्ष में नई सरकार से उम्मीद है कि वह कमजोर वर्गो को मुख्य धारा में ला सकेगी।

महोदय, पिछली सरकार से कहीं अधिक उम्मीदें वर्तमान सरकार से हमारे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों में उत्पन्न हुई हैं इसलिए कि पिछली सरकार की एक दो बातों को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में जितनी उदारता उन्होंने दिखाई उसको पूरा करके नहीं दिया। एक उदाहरण मे इसका बताना चाहता हूं

कि 1986 में राज्य सभा में चूंकि आरक्षण की सुविधा नहीं थी और तीन अनुसूचित जाति के लोग उपचुनाव में उत्तर प्रदेश से आए थे हमारी सत्ता पक्ष की पार्टी ने अपने तीन में से अनुसूचित जाति के दो को वापस करके एक को टिकट दिया। यह इनका एक महत्वपूर्ण अंग है। जो वर्तमान सरकार के मुखिया हैं माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उनका पहला उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि जब वे सत्ता में नहीं थे तो भी जब वे आधी सीट राज्य सभा में ला सकते थे, वह किसी के समर्थन से एक सीट राज्य सभा में लेकर आए और वह अनुसूचित जाति के आदमी को लाए, उसका उदाहरण हूं मैं आपके सामने (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : आपका टाइम समाप्त हो गया। आप बैठ जाइये।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : आखिरी बात कह कर बैठ रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्तमान सरकार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेगी। समय की सीमा के अंदर उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। यह कहते हुए इस संशोधन का समर्थन करते हुए समाप्त करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B, SATYANARAYAN REDDY): Smt Satya Bahin.

SHRI DARBARA SINGH (Punjab): On a point of order. The reservation Bill is before the House. All the Members who have spoken have spoken in favour of the Bill and in favour of what the Minister has enunciated. Our Leader of the Opposition has also said that We are very cooperative. He has said that it would passed unanimously. So, where is the need of doing all this exercise?

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : कोई नये सुझाव हैं तो वह दे दें दो मिनट के अंदर। श्रीमती सत्या बहिन।

श्रीमती सत्या बहिन : आपका धन्यवाद आपने समय दिया। इस सरकार द्वारा जो संविधान संशोधन अनुसूचित जाति, आदिम जाति के आरक्षण के विषय है लाया गया है मैं और मेरी पार्टी तहेदिल से स्वागत करती हैं और समर्थन करती है।

मैं समय की सीमा के विवाद में न पड़ते हुए इतना जरूर कहना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी खुद शोषित समाज के शोषण से, उसकी पीड़ा से परिचित हैं। बहुत कुछ उनको जानकारी है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं इस सरकार से आपके माध्यम से इस सदन के माध्यम से कि जो आरक्षण की व्यवस्था की गयी है इसमें इसे लागू करने की अनिवार्यता जरूर रखे। अगर इस को लागू करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी तब आप आरक्षण के लिए कितना भी समय बढ़ा दीजिए इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है अनुसूचित जाति, जन जाति को शोषण से मुक्त कराने के लिए, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, आर्थिक स्वावलम्बन के लिए हमारी सरकार ने जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया था और उस प्रावधान को लाने के पीछे हमारी सरकार की जो भावना रही है यदि उसी भावना से यह जो विधेयक लाया गया है इसका समर्थन करते हुए पहली बात यह कहना चाहूंगी कि इसमें अनिवार्यता जरूर होनी चाहिए। जिस भी विभाग में हो, जिस भी प्रदेश में हो अगर रिजर्वेशन पूरा नहीं होता है तो उस विभाग के अध्यक्ष पर उसकी जिम्मेदारी डालनी चाहिए और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई केन्द्रीय सरकार की ओर से की जानी चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के लिए नौकरियों पर दबाव कम डाला जाता है। अनुसूचित जातियों के लोगों को जहां तक नौकरी देने का सवाल है वह पूरा नहीं होता है यह मुझे मालूम है। सरकारी नौकरियों में क्लास-वन, टू, थ्री, फोर में पूरे देश में यह समीक्षा की जानी

[श्रीमती सत्या बहिन]

चाहिए कि आरक्षण कितना हुआ है और कितना यह करने जा रहे हैं। इसकी एक सूची हम सांसदों को दी जानी चाहिए। यह भी कहना चाहती हूं कि आर्थिक दृष्टि से उठाने के लिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या माध्यम उद्योग, सामान्य उद्योग जो उनकी क्षमता के अंदर हैं और जिनकी टेक्नीकल जानकारी उनके पास है उसके लिए उनको आसान शर्तों पर कर्ज दिया जाना चाहिए। उन को सब तरह की सुविधा दी जानी चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि जब तक ईमानदारी से इसको लागू नहीं किया जाता है तब तक हम इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आरक्षण के खिलाफ आज पूरे देश में खासतौर से उत्तर भारत में जो आंदोलन का माहौल पदा किया जा रहा है इसमें हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्रीय सरकार के अंदर जो उप प्रधान मंत्री हैं, उनका भी समर्थन इसमें है । उसके उप-प्रधान मंत्री देवी लाल जी ने रोहतक में 17-12-1989 को बयान दिया कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होगा और हम इसको लागू करेंगे। जब इन्होंने यह बयान दिया है तो इनकी नियत क्या है? यह कहते हुए दुख होता है कि ये लोग इस तरह की बात करते हैं । हमें इस बात का गर्व है कि हमारी पार्टी ने और कांग्रेस की सरकार ने इस मसले को अपनाया। कोई भी सरकार आती है तो वह इस सच्चाई और इस आवश्यकता से नकार नहीं सकती है। साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह आरक्षण के लिए यह विधेयक माननीय मंत्री श्री राम विलास पासवान जी के द्वारा लाये हैं, इसको वे ईमानदारी से लागू करें और इनके उप-प्रधान मंत्री ने जो यह बयान दिया है, उसके पीछे इनकी मंशा क्या है? क्या आप समाज में विभेद पैदा करना चाहते हैं? इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए और इनकी ईमानदारी पर शंका करते हुए भी कहना चाहती हूं कि इसको आप ईमानदारी से लागू करें।

SHRI KARMA TOPDEN (Sikkim): Thank you, Mr. Vice-Chairman. I rise to support the Constitution (Sixty-second Amendment) Bill, 1989 and I congratulate the Central Government for bringing forward this Bill.

Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha and the Legislative Assemblies of the States has been in existence for 40 years now. This Bill is intended to continue the reservation policy for another ten years. My only reservation is that this period, of ten years may not be sufficient to achieve the various objectives that the Bill is intended to accomplish. I feel a serious study should be made to *set* where the reservation policy has gone wrong in the Past and to rectify it by having an all-comprehensive programme over a period of time, say another 30 or 40 years or whatever time it takes to tackle the problem on a war footing so that discrimination and prejudices based solely on caste will be totally removed from our society. We must be careful that the programme of uplifting the scheduled Castes and Scheduled Tribes and the downtrodden does not just end up only in creating an elitist group within this community, though a certain amount of this will be unavoidable, but that the benefits actually permeate down to the grassroot level.

While the reservation for the Scheduled Castes is meant to uplift the members of the Scheduled Castes and through their progress and advancement to eradicate the caste system eventually I feel that the reservation for the Scheduled Tribes is not only meant for their economic upliftment but is also meant to preserve and promote their culture- traditions and way of life. Hence the approach to the two problems has to be different. Besides making reservation of seats for the Scheduled Tribes, the Government should have a detailed programme which- will encourage the tribals to protect and promote their culture, traditions and way of life so that the

rich and unique tribal culture of India is not swamped by the) onslaught of modernisation.

Coming to Sikkim specifically, the Bhutia-Lepchas who are the natives, the aborigines of the land, have been classified as tribals of the State under the Constitution, I feel the Bhutia-Lepchas should not be grouped together with the tribals of the rest of the country. When Sikkim merged with India in 1975, a commitment was made by the then Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, that the dis- ' tinct cultural identity of Sikkim would be fully maintained and protected. It was with this aim that clause (f) of Article 371F was written in the Constitution. This clause (f) reads as follows:

> "Parliament may, for the purpose of protecting the rights and interests of the different sections of the population of Sikkim make provision for the number of seats in the Legislative Assembly of the State of Sikkim which may be filled by candidates belonging to such sections and for the delimitation of the assembly constituencies' from which candidates belonging to such 'sections alone may stand for election to the Legislative Assembly of the State of Sikkim",

In keeping with this assurance, I feel that reservation for the Bhutia. Lepcha community in Sikkim, the original people of the land,.should be made a permanent feature and not be dependent on *the* life of the overall reservation policy.

5.00 P.M.

Presently, 12 seats are reserved for the Bhutias/Lepchas and one for the Sangha in the Sikkim Assembly. Except for two seats, the rest of the 'seats are in constituencies where the Bhu-tia/Lepcha population is very small, thus giving the feeling to the Bhutia/ Lepchas that they are not genuinely represented by the elected Bhutia/ Lepcha Members of the Assembly. In order to give a feeling of security to the Bhutia/Lepcha community, I would request that a fresh delimitation of constituencies may be made so that more genuine representation of the Bhutia/Lepcha community can be achieved in the Sikkim Assembly. This delimitation of constituencies is • also provided for under clause (f) of Article 371F of the Constitution.

Sikkim is a sensitive border State. When there is unrest in many of the border States, Sikkim is proud that we have total peace, no law and order 'problem and complete communal harmony in the State. In fact, the *Guin.* ness *Year* Book for 1989 has quoted Sikkim as, a State with the least number of crimes in the world. We are determined, to maintain this state lof affairs. To promote this amity among different sections of the people in the State, the State Government has been persistently asking the Central Government, since the time of Mrs. Indira Gandhi, to restore the -reservation of seats for the Nepalese of Sikkimese origin in the Sikkim Assembly which was done away with some years ago. This reservation of seats for all the different original ethnic communities of Sikkim, the Bhutias/Lepchas and the Sikkimese Nepalese is also possible under clause (f) of Article 371 of the Constitution, which says that Parliament may make provision for the number of seats in the Sikkim Assembly which may be filled by candidates belonging to diffe. trent sections of the population of Sikkim.

Besides, clause (k) of Article 371F of the Constitution gives protection to all the old laws of Sikkim unless repealed °r amended by a competent Legislature or authority. One of the old laws of Sikkim is a Proclamation of the then Chogyal, establishing, the parity system of representation in the Sikkim Assembly whereby seats were reserved on parity *for* the Bhutias/ Lepchas of Sikkimese origin on one hand and for the Nepalese of Sikkimese origin on the other, in the

[Shri Kairma Topden]

Sikkim Assembly. The reservation for the Sikkemese Nepalese was removed unilaterally, without the Sikkim Assembly having any say in it. As Article 371F was the instrument of merger, we feel that the de-reservation of seats of Sikkimese Nepalese goes against the spirit of merger.

In the recently concluded election to the Sikkim Assembly, the Sikkim Sangram Parishad led by the Chief Minister, shri Nar Bahadur Bhan-dari—a party which I have the privilege to. represent—completely swept the polls by winning all the 32 seats in the Assembly. This victory of the Sikkim Sangram Parishad was practically a referendum for the restoration of seat reservation for the Sikkimese Nepalese as this was one .of the main planks of the party in the election campaign. When Sikkim merged with India, it was through a referendum. Let not Delhi be immune to the cries of the people of Sikkim.

. With this, I fully support the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): Shri Khyomo Lotha. Please conclude with-,in three minutes.

SHRI KHYOMO LOTHA '(Naga- ' land): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am glad to have this opportunity to speak • on the Constitution (Sixty-second Amendment) Bill, 1989. I support this Bill, but with certain reservations.

My reservation is-in the sense that although article 334 of the Constitution made reservations for the. Scheduled Castes snd Scheduled Tribes, for 40 years the Scheduled Tribes of the North-East could not avail of these opportunities in full measures. As a matter of fact, the reservation for the Scheduled Tribes in the election to Assemblies in the States of Nega-land, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram and the Parliament was incorporated in the Constitution only in 1987 through the Constitution (Fifty-seventh) Amendment 'Act of 1987. So, we have actually availed of this reservation facility only three years ago., go. for 37 years we have not availed of this chance of reservation. Therefore, the extension of ten years is too little for us. Nagaland attained statehood in 1963 whereas Independence was attained in 1947. Thus there was a gap of 16 years in which we were in the Political oblivion. The entire Northeast Tribal people were not participating in political activities in the real sensd there for there is a backlog .of time factor. We should therefore have more years if or this purpose. This is why -I say I have my reservation.

[The Deputy Chairman" (In the Chair].

As far as bringing the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people into the mainstream is con cerned, apart from this political reser vation or political right, as I have listened to my colleagues of various parties. Many have expressed their different opinions. But everybody has talked in terms of time, as to how much more time is required for the reservation so that the backward classes or the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are brought into the mainstream of the Indian national life. . .

-But what about our attitude, our attitude towards the Tribals and Scheduled Castes? One Should not be only able to shake hands with the Scheduled Castes, but one should be able to embrace them. Only then will emotional integration come.into being. Otherwise, it will not be possible to bring the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes into the mainstream. So, it is not a question of ten years, but it is a question of heart as well.

Mr. Vajpayee also has said so and I agree with him in this respect. The time factor is also there, and when the Congress Government could give 40 years, why can't this National Front Government give 20 years? They should have been able to give more time. Are you afraid that the

new Government's life will be shor-' tened, and so d_0 you feel that these ten years is also too much?

With these questions i_n mind, I however support the Bill.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1989-90

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE); I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) fo_r the year 1989-90 (December, 1989). [Placed in Library. *See* No. LT-18/89]

CONSTITUTION (SIXTY-SECOND-AMENDMENT) BILL 1989-Contd.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: उपसभापति महोदया, हिन्दी की प्रति हम लोगों को नहीं मिली जब कि मिलनी चाहिये राजभाषा का अपमान नहीं होना चाहिये। जो पेपर हम को मिला है केवल अंग्रेजी में है।

उपसभापति: अमेंडमेंट का कह रहे हैं, अभी देखते हैं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर अपने मित्र उपेन्द्र जी से कहूंगा कि राजभाषा का अपमान नहीं होना चाहिये। कई बार यह चीज उठाई गई है इस सदन में चाहे हम इधर से विरोधी दल के लोग हों या उधर के लोग रहे हों। हिन्दी की यह उपेक्षा अनुचित है और संसदीय परम्पराओं और कानून के प्रति घोर उल्लंघन है। मैं इसे सदन का अपमान मानता हूं। हिन्दी प्रति आ जाए तब मंत्री महोदय वक्तव्य दें।

उपसभापति: पंडित जी; अभी चार बजे यह अमेंडमेंट आया है। मैंने सेक्रेटरियेट से पूछा है वह इतनी देर में करवा नहीं सके। कोशिश कर रहे हैं। हिन्दी प्रति आ जाएगी तो दे देंगे। **(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पाण्डेय: हिन्दी का ही करवाने में दिक्कत होती है। राजभाषा का अपमान नहीं किया जाना चाहिये **(व्यवधान)** जब अनुवाद करा लें तब उसके बाद कार्यवाही चलने दीजिये **(व्यवधान)**

सूचना और प्रसारण मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र): उपसभापति महोदया, हिन्दी में अनुवाद के लिए यहां कुछ इन्तजाम कम है उसको बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पाण्डेय: कोई कमी नहीं है यह गवर्नमेंट की इनएफिशियेंसी है **(व्यवधान)**

श्री रामचन्द्र विकल: हिन्दी में पहले हो और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ करे **(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पाण्डेय: वाजपेयी जी आप भी बोलिये हिन्दी वाले इश्यू पर **(व्यवधान)** यह बड़े अपमान की बात **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: उपसभापति महोदया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने यह कहा कि हिन्दी का अनुवाद करने की व्यवस्था कम है यह बात सच है या नहीं? **(व्यवधान)** मन्त्री तुरंत बताएं **(व्यवधान)**

उपसभापति: आप ऐसा न बोलिये **(व्यवधान)**

श्री मीर्जा इरशिबेग: इसकी व्यवस्था क्या है इसकी जानकारी हमें दें। पर्याप्त व्यवस्था है या अपर्याप्त व्यवस्था है। सेक्रेट्री जनरल से पूछकर हमें बताइये... **(व्यवधान)** हिंदी के अनुवाद के लिए जो भी यहां पर व्यवस्था है वह पर्याप्त है या अपर्याप्त है यह जानकारी हम आपसे लेना चाहते हैं.. **(व्यवधान)**